



क्रमांक : 5477/अका.का.प/2017

रायपुर, दिनांक, 20/12/2017

**विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैंतीसवीं बैठक बुधवार, दिनांक 27.12.2017
को अपरान्ह 03:00 बजे की विषयसूची**

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 11 तक)
टीप : राजभवन के पत्र क्रमांक एफ-4/2017/रास/यू-1 दिनांक 15.12.2017 के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति, श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(2)(i) में निहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.10.2017 में लिये गए निर्णय, कुलपति चयन हेतु सदस्य का 'मनोनयन' के स्थान पर 'निर्वाचित' किये जाने की अनुमोदन के साथ सम्पुष्टि करना।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
3. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 12 से 13 तक)
4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 14 से 21 तक)

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

5. पूरक परीक्षा अक्टूबर (अक्टूबर-नवम्बर) 2017 हेतु 44 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम राशि रु. 8,80,000=00 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) भुगतान की अनुमोदन करना सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 22 से 23 तक)
6. डॉ. अब्दुल अलीम खान, सेवानिवृत्त आचार्य, विधि अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00 (चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 24)
7. विभिन्न समितियों में मनोनित विषय विशेषज्ञों को 1000=00 सीटिंग फीस प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

8. (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 25 से 27 तक)

टीप : 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत 10 शैक्षणिक (1 एसोसिएट प्रोफेसर + 9 असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गई है। कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा। छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र क्रमांक 3-9/2017/38-2 दिनांक 11.10.2017 संलग्न।

(ii) मूल विज्ञान केन्द्र के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 28 से 44 तक)

टीप : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2017/38-2 दिनांक 6 नवंबर 2017 के द्वारा कुल 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। शैक्षणिक के 16 पद (प्रोफेसर-4, सह प्राध्यापक-4, सहायक प्राध्यापक-8) एवं अशैक्षणिक के 7 पद। शासन का पत्र संलग्न।

(iii) गुरु घासीदास शोधपीठ के लिये स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करना।

(पृ.क्र. 45 से 47 तक)

टीप : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक 19-19/2017/38-2 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित गुरु घासीदास शोध पीठ हेतु 3 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। (अध्यक्ष-1 पद, सहायक ग्रेड 3- 1 पद, भृत्य-1 पद कुल 03 पद)। शासन का पत्र संलग्न।

9. सुश्री माण्डवी साहू, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के त्याग पत्र पर विचार करना। (पृ.क्र. 48)

10. डॉ. जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त निम्न वर्ग लिपिक के प्रकरण पर विचार करना।

टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.07.2017 में लिये गए निर्णयानुसार उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विशेष आडिट कराई जा रही है। विशेष आडिट की प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

11. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक, प्रौढ़ शिक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना ग्रहण कर, उनके दायित्वों का भुगतान किये जाने पर विचार करना।

(पृ.क्र. 49 से 62 तक)

12. श्री चन्द्र प्रकाश राठौर, ग्रेड-3 का वेतनमान संशोधन के संबंध में।

(पृ.क्र. 63)

पुनर्मूल्यांकन एवं गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

13. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 के निर्णयानुसार पुनः पुनर्मूल्यांकन (Pannel Valuation) के पश्चात् अपीलीय निकाय हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क, विषय-विशेषज्ञों के मानदेय, आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट के लिये प्रारूप पर विचार करना। (पृ.क्र. 64 से 68तक)

14. पुनर्मूल्यांकन समन्वयक के प्रकरण पर विचार करना।

(पृ.क्र. 69 से 70 तक)

परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव:-

15. बी.ए. एवं एम.ए. के अंक सूची एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु श्री कमलेश कुमार साहू के आवेदन दिनांक 30.10.2017 पर विचार करना। (पृ.क्र. 71)

16. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक 8 उपाधि वितरण की योजना के संबंध में। (पृ.क्र. 72 से 76 तक)

17. सत्र 2017-18 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 77 से 94 तक)

टीप : सूची संलग्न।

कम्प्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

18. PRSU Servers and Antivirus Server (400 Users) की मौजूदा वार्षिक रख-रखाव को आगामी 3 माह नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल राशि रुपए 1,63,425=00 (सभी करों सहित एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रुपए) बढ़ाये जाने पर विचार करना। (पृ.क्र. 95)

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

19. वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 11,57,064=00 M/S. Learning Spiral PVT. LTD Kolkata को भुगातन की स्वीकृति बाबत। (पृ.क्र. 96)
20. सेमेस्टर परीक्षा हेतु 2 लाख उत्तर पुस्तिका OMR Sheet सहित संवाद से निम्नलिखित दर पर कार्य संपादित कराने हेतु स्वीकृति के संबंध में -
- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| 32 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका- | रु. 6.743/- | |
| OMR Sheet | - | रु. 0.66/- |
- (पृ.क्र. 97 से 100 तक)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

21. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

22. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में। (पृ.क्र. 101 से 108 तक)
23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 5478/अका.का.प/2017

रायपुर, दिनांक, 20/12/2017

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि०, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका०)





क्रमांक: 5048 / अका. / का.प. / 2017

रायपुर, दिनांक 07/10/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बत्तीसवीं* बैठक गुरुवार, दिनांक 05.10.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | – सदस्य | 8. डॉ. डी.एन. वर्मा | – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा | – सदस्य | 9. श्री एस.के. चक्रवर्ती | – सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती | – सदस्य | 10. डॉ. बी.एन. तिवारी | – सदस्य |
| 4. डॉ. के.एल. वर्मा | – सदस्य | 11. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता | – सदस्य |
| 5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी | – सदस्य | 12. प्रो. आर.पी. दीक्षित | – सदस्य |
| 6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे | – सदस्य | 13. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती | – सदस्य |
| 7. डॉ. नरेन्द्र पटनायक | – सदस्य | | |

श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

विषय सूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.08.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.08.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

3. डॉ० एस०के० सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययन शाला के धारणाधिकार (दिनांक 29.06.2017 से 30.06.2020 तक) स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय : डॉ० एस०के० सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययन शाला के धारणाधिकार (दिनांक 29.06.2017 से 30.06.2020 तक) स्वीकृत किया गया।

4. जैविकी अध्ययनशाला का नाम School of Studies in Bio-Science के स्थान पर School of Studies in Life-Science किये जाने की अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : जैविकी अध्ययनशाला का नाम **School of Studies in Bio-Science** के स्थान पर **School of Studies in Life-Science** किये जाने की अनुमोदन किया गया।

5. विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त दिये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अतिरिक्त भुगतान संबंधी आदेशों का पुनः परीक्षण कर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, तुलनात्मक सारणी का कुलपति जी द्वारा गठित समिति से परीक्षणोपरांत कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः-

6. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा DST-FIST Programme के अंतर्गत Constant Current Electrometer एवं पांच अन्य उपकरण रुपये 32,90,754.00 के व्यय पर कय करने हेतु विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा DST-FIST Programme के अंतर्गत Constant Current Electrometer एवं पांच अन्य उपकरण रुपये 32,90,754.00 के व्यय पर कय करने हेतु विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः-

7. डॉ० गौरीशंकर सेवानिवृत्त आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00(चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ० गौरीशंकर सेवानिवृत्त आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00(चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृत किया गया।

संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तावः-

8. क्रीड़ा समिति की बैठक, दिनांक 08.09.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक, दिनांक 08.09.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः-

9. स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, ग्राम- मुडपार, जिला-रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

निर्णय : स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, ग्राम-मुडपार, जिला-रायपुर में डॉ. आर.एन. बघेल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को 1 वर्ष के लिये संविदा प्राचार्य नियुक्त किये जाने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषय सूची

1. विनियम 108 में संशोधन पर विचार करना।

निर्णय : विनियम क्रमांक 108 के भाग-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाय -

(1) विनियम क्रमांक 108 के भाग 4 के खण्ड "क्रय की गई वस्तु का भण्डारण एवं वितरण" में उपखण्ड "विशेष उपबंध" के अंत में निम्न पद जोड़ा जाये -

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 समय-समय पर संशोधन सहित विश्वविद्यालय में वस्तुओं/सेवाओं के क्रय/विक्रय के लिये लागू होगा।

(2) विनियम 108 के भाग 4 के "क्रय की प्रक्रिया" खंड में जहाँ-जहाँ पर 10000=00 लिखा है उसके स्थान पर 20000=00 रु. प्रतिस्थापित किया जाय।

2. अधिवक्ता पैनल का पुनर्निर्धारण पर विचार करना।

निर्णय : अधिवक्ता पैनल का पुनर्निर्धारण पर विचार करते हुए निम्नांकित अधिवक्ता को विश्वविद्यालयीन पैनल के लिये अनुमोदित किया गया -

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) श्री एन.के. व्यास | (4) श्री निरज चौबे (लॉ फर्म) |
| (2) श्री राजीव श्रीवास्तव | (5) श्री मनोज दुबे |
| (3) श्री अरुण साव | (6) श्री रमाकांत मिश्रा |

3. अपीलीय बोर्ड के गठन पर विचार करना।

(अ) अधिसूचना क्रमांक 4171/अका./2017 दिनांक 02.06.2017 के अनुसार अपीलीय छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं विषय विशेषज्ञों का देय मानदेय राशि पर विचार करना।

(ब) अपीलीय बोर्ड के रेगुलेशन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अधिसूचना क्रमांक 4171/अका./2017 दिनांक 02.06.2017 के अनुसार अपीलीय छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं विषय विशेषज्ञों का देय मानदेय राशि का प्रस्ताव औचित्य के साथ आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट के लिये, प्रारूप के साथ, आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाए।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के अध्यादेश 9 (1)(B) के अनुसार चयन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के अध्यादेश 9 (1)(B) के अनुसार सत्र 2017-18 के लिये निम्नलिखित संकायाध्यक्षों की चयन समिति गठन किया गया :-

- (1) डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय,
- (2) डॉ. राजीव चौधरी, संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा संकाय
- (3) डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय

4

5. कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत 2 NCNR परियोजना में POST DOCTORAL FELLOWSHIP के लिये योग्यता निर्धारण पर विचार करना।

निर्णय : कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत 2 NCNR परियोजना में POST DOCTORAL FELLOWSHIP के लिये योग्यता निर्धारण के लिये प्रस्तावित वांछनीय योग्यता का अनुमोदन किया गया।

The National Centre for Natural Resources, Pt. Ravishankar Shukla University will appoint TWO PDF (Post Doctoral Fellow) as per the norms of appointment Adhoc teachers (). Various sophisticated instruments are available in NCNR. We need some specific persons who deals with these instruments for medicinal plant research etc.

Desirable Qualification

- Preference will be given to candidates having experience of working with sophisticated equipments, such as NMR, LC-MS-MS, HPLC, HPTLC, RT-PCR, AAS, FTIR, UV-V is/Fluorescence spectrophotometers, Super Critical Fluid Extraction Unit (SFE).
- Expertise in planning and executing the work in the area of natural products isolation and their testing *in vivo* and *in vitro*
- Knowledge of Extraction, isolation, purification, chemical transformation and scaling up of natural products
- Experience of conducting survey work in tribal area of Chhattisgarh, knowledge about autoimmune disease and other chronic disease
- Knowledge about the plant taxonomy, seed behaviour and seed conservation
- Knowledge of Computer and data management using different statistical software
- Experience in the management of a research laboratory involved in plant research
- Experience in project, manuscript and report writing etc.

6. सेमेस्टर परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण पर विचार करना।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण पर, छात्रों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों से अनापत्ति पत्र एवं रु. 100/- प्रक्रिया शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् गुण-दोषों पर विचार करते हुए महाविद्यालय स्थानांतरण हेतु परीक्षा फार्म भरने की अधिसूचना जारी करने के पूर्व, महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर परीक्षा विभाग के द्वारा अनुमति दी जावेगी।

7. डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31.10.2017 तक समय प्रदाय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 16.11.2017 तक अनुमति दी गई।

8. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में सेमीनार हॉल को उनके क्षमता के अनुसार किराये में दिये जाने हेतु किराया निर्धारण के लिये समिति गठित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में सेमीनार हॉल को उनके क्षमता के अनुसार किराये में दिये जाने हेतु किराया निर्धारण के लिये निम्नानुसार समिति गठित किया गया-

- (1) वित्त नियंत्रक
- (2) यंत्री, विश्वविद्यालय
- (3) लोक निर्माण विभाग द्वारा मनोनित एक सदस्य एवं
- (4) वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष

9. पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता- केनोइंग एण्ड कायकिंग (पु./म.), लान टेनिस (म.), हेंड बाल (म.), नेटबाल (म.) प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं मैनेजर तथा कोच को नियमानुसार पुरस्कार राशि रु. 598000/- भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता- केनोइंग एण्ड कायकिंग (पु./म.), लान टेनिस (म.), हेंड बाल (म.), नेटबाल (म.) प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं मैनेजर तथा कोच को नियमानुसार पुरस्कार राशि रु. 598000/- भुगतान की स्वीकृति दी गई।

10. विश्वविद्यालय द्वारा श्री निरंजन महावर के साथ म्यूजियम से संबंधित हुए MOU का सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा श्री निरंजन महावर के साथ म्यूजियम से संबंधित हुए MOU का सूचना ग्रहण कर अनुमोदन किया गया।

11. माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी के पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2 दिनांक 27.09.2017 के अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि./38 दिनांक 01.05.2006 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप में सरल क्रमांक 22 एवं 26 में तकनीकी अधिकारी/माइक्रो एनालिस्ट के पद को सेवा श्रेणी तीन के अंतर्गत दर्शाया गया है, राज्य शासन एतद्वारा संशोधित करते हुए माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

6


कार्यवृत्त - कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017

12. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 5049 / अका./ का.प./ 2017

रायपुर, दिनांक 07 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 5114 / अका./ का.प./ 2017

रायपुर, दिनांक : 17 / 10 / 2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तैतीसवीं* बैठक (आपातिक) सोमवार, दिनांक 16.10.2017 को अपराह्न 3:30 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति — अध्यक्ष

1. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	— सदस्य	9. श्री ललित सुरजन	— सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	— सदस्य	10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	— सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	— सदस्य	11. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	— सदस्य
4. डॉ. के.एल. वर्मा	— सदस्य	12. श्री शिवरतन शर्मा	— सदस्य
5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी	— सदस्य	13. श्री श्रीचंद सुंदरानी	— सदस्य
6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे	— सदस्य	14. श्री सत्यनारायण शर्मा	— सदस्य
7. डॉ. नरेन्द्र पटनायक	— सदस्य	15. श्री धनेन्द्र साहू	— सदस्य
8. श्री एस.के. चक्रवर्ती	— सदस्य		

श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव — सचिव

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर की ओर से विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् के लिये मनोनित सदस्य विधायकगण माननीय श्री शिवरतन शर्मा, माननीय श्री श्रीचंद सुंदरानी, माननीय श्री नवीन मार्कण्डेय, माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा एवं माननीय श्री धनेन्द्र साहू का दीपावली अभिनंदन करते हुए स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :


विषय सूची


1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के चयन हेतु समिति के गठन के लिये एक सदस्य का, कार्यपरिषद् द्वारा मनोनयन।

निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के चयन हेतु राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 1-4/2017/रास/यू-1 दिनांक 09.10.2017 के द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(2)(i) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा माननीय जस्टीस श्री शम्भु नाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छ.ग. शासन, रायपुर का नाम प्रस्तावित किया गया।

माननीय जस्टीस श्री शम्भु नाथ श्रीवास्तव से सहमती एवं बायोडाटा प्राप्त कर, राजभवन प्रेषित किये जाने के लिए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

8


कार्यवृत्त - कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक दिनांक 16.10.2017

पृ. क्रमांक: 5115 /अका./का.प./2017

रायपुर, दिनांक : 17/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



9

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office : 2331101

निवास Res. :

फैक्स Fax : 2331104

क्रमांक एफ 1-4/2017/रास/यू-1

रायपुर, दिनांक 15/12/2017

प्रति,

✓
कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर ।

विषय :- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु सदस्य का मनोनयन ।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5143/अका./2017, दिनांक 24.10.2017.

आपके विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(2)(i) में निहित प्रावधान—**One person elected by the Executive Council** के अनुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्य के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का मनोनयन कर प्रेषित किया गया जबकि अधिनियम के अनुसार कार्यपरिषद द्वारा उक्त नाम को निर्वाचित कर प्रेषित किया जाना चाहिए ।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि चयन समिति के सदस्य के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का कार्यपरिषद द्वारा मनोनयन किया गया अथवा कार्यपरिषद द्वारा उनका नाम निर्वाचन किया गया है, के संबंध में कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

गौ. कुलपतिजी के कलौडगमल एव
श्रीवास्तव की
DR (Acad.) कुलपति,

(सैयद कौसर अली)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़



आपका
कार्यपरिषद के सदस्य
एव संशोधन
एव

15/12/17



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 5402 / अका. / का.प. / 2017

रायपुर, दिनांक 30/11/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौतीसवीं* बैठक (आपातिक) मंगलवार, दिनांक 28.11.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य | 7. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य | 8. प्रो. आर.पी. दीक्षित – सदस्य |
| 3. डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य | 9. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य |
| 4. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य |
| 5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य | 11. श्री धनेन्द्र साहू – सदस्य |
| 6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे – सदस्य | |

डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ का कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार मानते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यपरिषद् के लिये पुनः नव नियुक्त माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, 48- रायपुर ग्रामीण विधान सभा सदस्य का पूर्व में कार्यपरिषद् में दिये सहयोग एवं सुझाव के लिये आभार मानते हुए पुनर्नियुक्ति हेतु पुष्प गुच्छ से स्वागत किया।

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यद्वय सर्वश्री श्री धनेन्द्र साहू, 53-अभनपुर विधान सभा सदस्य एवं डॉ. एच.के. पाठक, प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला का कुलपति जी के द्वारा सदस्यों का परिचय कराते हुए कार्यपरिषद् सदस्य नियुक्त होने पर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया।

तत्पश्चात् कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारंभ हुई।


कार्यवृत्त :

- मानव संसाधन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय को NIRF रैंकिंग के आधार पर UGC को Institute of Eminence के लिए APEB की बैठक दिनांक 25.11.2017 की अनुशंसा के आधार पर IQAC प्रकोष्ठ के द्वारा बनाये गये प्रस्ताव का Presentation डॉ. निनाद बोधनकर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी सदस्यों ने एकमत होकर Institute of Eminence के लिये यू.जी.सी. नई दिल्ली में आवेदन हेतु सहमति प्रदान किया गया।

Institute of Eminence के आवेदन शुल्क राशि रु. 1 करोड़ विश्वविद्यालय के सामान्य मद से भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 5403 / अका. / का.प. / 2017

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

12

क्रमांक : 5379 / अका. / वि.प. / 2017

रायपुर, दिनांक : 27/11/2017

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2017 दिन-शनिवार को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|---------|----------------------------------|-------|
| 1. | प्रो. एस. के. पाण्डेय, कुलपति | - | अध्यक्ष | | |
| 2. | डॉ. सी.एल. पटेल | सदस्य | 9. | डॉ. आर.के. ब्रम्हे | सदस्य |
| 3. | डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा | सदस्य | 10. | डॉ. निनाद बोधनकर | सदस्य |
| 4. | डॉ. विजय अग्रवाल | सदस्य | 11. | डॉ. (श्रीमती) दीप्ति झा | सदस्य |
| 5. | डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती | सदस्य | 12. | डॉ. वासु वर्मा | सदस्य |
| 6. | डॉ. एच.के. पाठक | सदस्य | 13. | प्रो. रजत मूना (Director, IIT) | सदस्य |
| 7. | डॉ. बशीर हसन | सदस्य | 14. | प्रो. भरत भास्कर (Director, IIM) | सदस्य |
| 8. | डॉ. ए.के. गुप्ता | सदस्य | | | |

15. डॉ. संदीप वानसूत्रे, कुलसचिव - सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए:-

माननीय APEB के सदस्यों के समक्ष Institute of Eminence के लिये प्रेषित किये जाने वाली प्रस्ताव के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्ययोजना का डॉ. निनाद बोधनकर के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -

1. सामाजिक विज्ञान एवं Humanities में सुदृढीकरण के लिये विश्वविद्यालय में Centre for Social Science & Humanities की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा के लिये संस्थान।
2. NCNR एवं सात Innovative Research Centre में inter disciplinary Research Work पर विस्तारीकरण किया जाना होगा।
3. विश्वविद्यालय में स्थित अध्ययन शालाओं के द्वारा प्रस्तुत अन्य पाठ्यक्रम को समावेश करने की सहमति देते हुये विचारो-विमर्श के उपरांत अन्य सुझाव निम्नानुसार प्राप्त हुए -
 - (1) विश्वविद्यालय का Restructure करना होगा, जिसमें समस्त विभाग को Autonomous का दर्जा दिया जावे।
 - (2) IoE के अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्षों में 2-3 विभागों का पूर्णतया upgradation होना चाहिये।

(3) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था उत्कृष्ट होना चाहिये।

उपस्थित विद्वतजनों ने सर्वसम्मति से IoE हेतु निम्न दो सिद्धांत पर केन्द्रीत किया जाना

- (1) Research Driven Education
- (2) Education Driven Research

(1) Research Driven Education – यह विश्वविद्यालय में होना चाहिये जिसमें वर्तमान में संचालित CBS के अनुसार, विश्वविद्यालय में Centre for Social Sciences & Humanities, Centre for Notional & International languages पर होना चाहिये

(2) Education Driven Research – यह महाविद्यालयों में होना चाहिये इसके लिये विश्वविद्यालय में Constituents College की स्थापना करनी चाहिये।

उपरोक्त के साथ ही APEB के माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित Institute of Eminence की कार्ययोजना को यू.जी.सी. प्रेषित किये जाने हेतु सहमति देने हुये अनुमोदन किया गया।

अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दो Certificate Course प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई :-

- (1) Certificate Course in Goods and Services tax
- (2) Certificate Course in Econometrics and Mathematical Economics

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 5380/अका./वि.प./2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 27/11/2017

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"



क्रमांक : 5381 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2017

रायपुर, दिनांक: 27/11/2017

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 25.11.2017 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. शैल शर्मा	-	सदस्य
3. डॉ. विजय अग्रवाल	-	सदस्य
4. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
5. डॉ. वासु वर्मा	-	सदस्य
6. डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
7. डॉ. बशीर हसन	-	सदस्य
8. डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. Institute of Eminence के संबंध में विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 25.11.2017 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन करना।

निर्णय: विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 में Institute of Eminence के संबंध में लिये गए निर्णय एवं कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अन्य निर्णय :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.10.2017 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.10.2017 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शास. नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर	B.Sc.-I- Maths Group- Chemistry, Maths, Physics	90	2017-18	1. डॉ. के.के. घोष, आचार्य रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, आचार्य, गणित अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर
		B.A.-I- F.C., Hindi Litt. English Litt., Economics, Political Sc. Geography	90		1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एन.के. बाघमार, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	90		1. डॉ. अब्दुल करीम, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद
<p>आ.उ.शि. संचा. का आदेश क्र. 104 / / 01 / आउशि / योजना / 2017 दिनांक 15.06.2017 एवं 3-57 / 2017 / 38-1 दि. 05.09.2017</p>					
<p>निरीक्षण तिथि – 17.10.2017 विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 4433 / अका. / संबद्धता / 2017 दिनांक 11.07.2017 के परिपालन में आज दिनांक 17. 10.2017 को शास. नवीन महा. खरोरा का अवलोकन किया गया। बी.एस.सी. में 17 तथा बी.ए. में 91 छात्र तथा बी.काम. में 72 छात्र प्रवेशित है। महा. में 3 नियमित शिक्षक है। वर्तमान में शास. योग. महा. रायपुर से शिक्षक आकर अध्यापन करते हैं। सेट-अप स्वीकृत नहीं होने के कारण महा. स्तर पर शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला शास. उ.मा.वि. में कराया जायेगा। पुस्तकालय, भौतिक तथा रसायन प्रयोगशाला स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। आगामी सत्र के पूर्व भूगोल प्रयोगशाला स्थापित किया जाना आवश्यक है। महा. पूर्व माध्य. शाला के भवन में संचालित है। नियमित प्राचार्य पदस्थ है।</p>					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कुरुद	B.Sc.-II- Microbiology	30	2017-18	1. डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य, लाइफ साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी, अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 3. डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-II- Computer Sc.	30		
		B.Sc.-I- I.T.	20		
		M.Sc.-I/II Sem. Biotechnology	30		
<p>स्थापना वर्ष-1983-84 छ.ग. शासन उ.शि.विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ 3-56 / 2017 / 38-1 दि. 22.08.2017 एवं एफ 55 / 2015 / 38-1 दि. 22.08.2017</p>					

03. अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शास. नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर	B.Sc.-I- Maths Group- Chemistry, Maths, Physics	90	2017-18	1. डॉ. के.के. घोष, आचार्य रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, आचार्य, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर
		B.A.-I- F.C., Hindi Litt. English Litt., Economics, Political Sc. Geography	90		1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि. रायपुर 2. डॉ. एन.के. बाघमार, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	90		1. डॉ. अब्दुल करीम, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद
<p>आ.उ.शि. संचा. का आदेश क्र. 104//01/आउशि/योजना/2017 दिनांक 15.06.2017 एवं 3-57/2017/38-1 दि. 05.09.2017</p>					
<p>निरीक्षण तिथि - 17.10.2017 विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 4433/अका./संबद्धता/2017 दिनांक 11.07.2017 के परिपालन में आज दिनांक 17.10.2017 को शास. नवीन महा. खरोरा का अवलोकन किया गया। बी.एस.सी. में 17 तथा बी.ए. में 91 छात्र तथा बी.काम. में 72 छात्र प्रवेशित है। महा. में 3 नियमित शिक्षक है। वर्तमान में शास. योग. महा. रायपुर से शिक्षक आकर अध्यापन करते हैं। सेट-अप स्वीकृत नहीं होने के कारण महा. स्तर पर शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला शास. उ.मा.वि. में कराया जायेगा। पुस्तकालय, भौतिक तथा रसायन प्रयोगशाला स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। आगामी सत्र के पूर्व भूगोल प्रयोगशाला स्थापित किया जाना आवश्यक है। महा. पूर्व माध्य. शाला के भवन में संचालित है। नियमित प्राचार्य पदस्थ है।</p>					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कुरुद	B.Sc.-II- Microbiology	30	2017-18	1. डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य, लाइफ साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नॉलॉजी, अ.शा. पं.र.शु. वि. रायपुर 3. डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स अ.शा. पं. र.शु.वि. रायपुर
		B.Sc.-II- Computer Sc.	30		
		B.Sc.-I- I.T.	20		
		M.Sc.-I/II Sem. Biotechnology	30		
<p>स्थापना वर्ष-1983-84 छ.ग. शासन उ.शि.विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ 3-56/2017/38-1 दि. 22.08.2017 एवं एफ 55/2015/38-1 दि. 22.08.2017</p>					

<p>निरीक्षण तिथि – 24.10.2017 The committee visited the College on 24-10-2017 and observed the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The College (estb. 1984) is a government College with 15 acre land having its own building, Library and play ground. 2. The laboratory space and furniture for running the classes in question is inadequate and managed with other departments. 3. No permanent faculty exists for Microbiology, Computer Science and I.T. Only one faculty exists in Biotechnology for B.Sc. & M.Sc. Classes. Adhoc faculty has been appointed for Microbiology & Computer Science. 4. The equipments to run the courses are inadequate and need to be procured immediately for the number of seats asked for. The Computers are inadequate and out dated. 5. More books in multiple copies are to be purchased for B.Sc. & M.Sc. Classes and also research journals for M.Sc. Biotechnology. 					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रायोगिक की व्यवस्था कैसे पूर्ण की जावेगी, की जानकारी महाविद्यालय से ली जावे।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iii)	शासकीय सुखराम नागे महा. नगरी, जिला-धमतरी	B.A.- Ist Year- Geography	30	2017-18	1. डॉ. एन.के. बाघमार, भूगोल अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. डी.आर. चौधरी, बी.सी.एस. शास. महावि. धमतरी
		स्थापना वर्ष-1983-84 छ.ग. शासन उ.शि.विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ 3-55/2017/38-1 दि. 22.08.2017			
<p>निरीक्षण तिथि – 06.11.2017 1. महाविद्यालय का अपना (स्वयं) का शासकीय भवन है। 2. भूगोल विषय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई है। 3. प्रायोगिक एवं अन्य सामग्रियों की क्रय-प्रक्रिया जारी है। 4. ग्रंथालय में भूगोल विषय से संबंधित पुस्तकों का क्रय आदेश जारी किया जा चुका है। 5. भूगोल बी.ए. प्रथम वर्ष में (सत्र 2017-18) में 30 नियमित छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है।</p>					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iv)	शास. बट्टी प्रसाद कला/वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर	M.A. Prev. (I & II Sem.) Economics	30	2017-18	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. के.के. बिंदल, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर
		M.Sc. Final Maths (III & IV Sem.)	25		1. डॉ. बी.एस. ठाकुर, आचार्य, गणित अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट, (गणित) शास. नागार्जुन पी. जी. विज्ञान महावि. रायपुर
		स्थापना वर्ष- 1988-89 आयुक्त उ.शि. विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-11/16/38-1 दि. 07.09.2016 एवं पत्र क्र. एफ 3-56/2015/38-1 दि. 22.08.2017			

<p>निरीक्षण तिथि – 07.11.2017 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 5179/अका./सम्ब./2017 रायपुर दिनांक 27.10.2017 के तहत आज दिनांक 07.11.2017 को M.A.-I, II Sem. (Economics)-30 Seats एवं M.Sc.-Final III, IV Sem. (Maths)-25 Seats हेतु शास. महाविद्यालय, आरंग का निरीक्षण किया गया एवं निम्न तथ्य पाये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है। 2. एम.ए. अर्थशास्त्र हेतु एक सहायक प्राध्यापक (स्थायी) एवं एक अतिथि व्याख्याता नियुक्त है। इसी तरह एम.एस.सी. गणित के अध्यापन हेतु दो अतिथि व्याख्याता नियुक्त है। 3. एम.ए. अर्थशास्त्र एवं एम.एस.सी. गणित हेतु 25-25 हजार रुपये की पुस्तकें क्रय करने का आदेश जारी हो चुका है। (बिल संलग्न है) इसी तरह महाविद्यालय में एम.ए. एवं एम.एस.सी. के अध्यापन हेतु पर्याप्त कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध है। 4. दोनों ही कक्षाओं के अध्यापन हेतु 1-1 अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता है। 					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रायोगिक की व्यवस्था कैसे पूर्ण की जावेगी, की जानकारी महाविद्यालय से ली जावे।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(v)	शास. पंडित श्याम शंकर मिश्र महा. देवभोग, जिला-गरियाबंद	M.A. Prev. Hindi	30	2017-18	1. डॉ. आर.के. दुबे, प्राचार्य, शास. नवीन महावि. खरोरा, जिला-रायपुर 2. डॉ. आर.के. पाण्डेय, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद
स्थापना वर्ष-1983-84 छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-56/2015/38-1 दि. 22.08.2017					
<p>निरीक्षण तिथि : 07.11.2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातकोत्तर हिंदी विषय आरंभ करने हेतु अनुमति शासन से। 2. विद्यार्थियों के लिए अध्यापन कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध। 3. एक अतिरिक्त सहा. प्राध्यापक पद स्वीकृति शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन। 4. विषय में एक नियमित सहा. प्राध्यापक कार्यरत, फलतः अध्यापन व्यवस्था व्यवस्थित। 5. एम.ए. पूर्व 'हिन्दी' में 17 विद्यार्थी प्रवेशित। 6. पर्याप्त वांछित व्यवस्था उपलब्ध। 7. 30 सीट के लिए अनुमति दिया जाना उचित होगा। 					
<p>निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(vi)	शास. राजीव लोचन महा. राजीम, जिला-गरियाबंद	M.Sc. Prev. Physics (I & II Sem.)	25	2017-18	1. प्रो. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अंजली अवधिया, शास. नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर
स्थापना वर्ष-1971-72 शासन का आदेश क्र. एफ 3-35/2015/38-1 दि. 04.03.2017					

निरीक्षण तिथि –17.11.2017
 प्रस्तावित पाठ्यक्रम M.Sc.- I Sem. Physics के निरीक्षण उपरान्त निम्न कमियां पाई गई।
 1. M.Sc.- I Sem. Physics के Teaching के लिये शिक्षक अपर्याप्त है।
 2. M.Sc.- I Sem. Physics के Course Content के lab Course I-A General & Optics के प्रयोग उपकरण अपर्याप्त है।
 3. M.Sc.- I Sem. के Course Content के अनुसार Library में books अपर्याप्त है।

निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रायोगिक की व्यवस्था कैसे पूर्ण की जावेगी, की जानकारी महाविद्यालय से ली जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(vii)	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	M.Sc.-I & II Sem. Anthropology	20	2017-18	1. डॉ. मोयना चक्रवर्ती, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान एवं आचार्य मानव अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अशोक प्रधान, विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
M.Sc.-I & II Sem. Chemistry		30	1. प्रो. एम.के. देव, रसायन शास्त्र, अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 2. डॉ. एस.के. चटर्जी, प्राचार्य, शासकीय एन.आर. एम. कन्या महा. धमतरी		
M.Sc.-I & II Sem. Physics		20	1. प्रो. (श्रीमती) नमिता ब्रम्हे, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. अंजली अवधिया, भौतिकी, शास. नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर		
स्थापना वर्ष-1937-38 छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-56/2015/38-1 दि. 22.08. 2017					

निरीक्षण तिथि – 18.11.2017
एम.एस-सी. रसायन
(I) अधोसंरचना – एम.एस.सी. रसायन शास्त्र हेतु (अध्यापन कक्ष) एवं प्रयोगशाला के लिये नये भवन में कक्ष आबंटित किया गया है। अध्यापन कक्ष में छात्र-छात्राओं के लिये पर्याप्त फर्नीचर है। भविष्य के लिये वर्तमान रसायन शास्त्र विभाग के उपर प्रथमतः में अतिरिक्त कमरे एवं प्रयोगशाला हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
(II) उपकरण – वर्तमान में प्रयोगिक कक्षा शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर सम्पन्न करने पत्र लिखा गया है। आयुक्त उच्च शिक्षा ने विज्ञान महा. के प्राचार्य से अभिमत मांगा है। उपकरणों के क्रय हेतु 1,25,00,000=00 (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये) का प्रस्ताव उच्च शिक्षा के भेजा गया है, जिसमें रसायन शास्त्र के उपकरण क्रय हेतु 25,00,000=00 रखा गया है।
(III) पुस्तकें एवं शोध पत्रिका – रसायन विषय के स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लगभग 1100 पुस्तकें एवं 24 शोध पत्रिकायें ग्रंथालय में उपलब्ध है। और अधिक स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें खरीदना उचित होगा।
(IV) प्रयोगशाला तकनीशियन तथा प्रयोगशाला परिचारक वर्तमान में एक-एक है। और अधिक पद सृजित होना चाहिये।
(V) वर्तमान में पदों की संख्या सेट-अप के आधार पर 1 प्रोफेसर तथा 6 सहायक प्राध्यापक है। और अधिक सहायक प्राध्यापक पद होना चाहिये।
एम.एस-सी. भौतिकी
 M.Sc.-I Sem पाठ्यक्रम (भौतिकी) के निरीक्षण के दौरान निम्न कमियां पायी गई –
 (1) कक्षाओं की संख्या (प्रयोगशाला हेतु)– अपर्याप्त, M.Sc. भौतिकी प्रयोगशाला हेतु 1 अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की गई है, अगले सत्र हेतु 1 कक्ष प्रस्तावित है।
 (2) उपकरण – Nil (वर्तमान में M.Sc. की प्रयोगशाला हेतु उपकरण उपलब्ध नहीं है।)

(3) ग्रंथालय – स्नातकोत्तर स्तर की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भौतिकी विभाग में M.Sc.-I Sem हेतु कक्षाओं, उपकरणों तथा पुस्तकों का अभाव है। इन सारे संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही स्नातकोत्तर हेतु पात्रता दिया जाना संभव होगा।

M.Sc. Anthropology -

The undersigned committee visited Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College on 18-11-2017 for assessing the feasibility to grant affiliation of the University to the College for running P.G. Courses in Physics, Chemistry and Anthropology from the session 2017-18.

Our observations are as follows :

1. The College has sufficient land and building with number of Class rooms for running the above, mentioned courses.
2. No additional teaching and non-teaching staffs have been appointed for teaching P.G. courses in Anthropology.

The college has library with 464 relevant books in Anthropology but additional books and some instruments meant for conducting practical's at P.G. level is yet to be procured which has been prepared and sent to the higher education for approval.

निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रायोगिक की व्यवस्था कैसे पूर्ण की जावेगी, की जानकारी महाविद्यालय से ली जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(viii)	शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महा. भाटापारा	B.Sc.-II- Biotechnology	30	2017-18	1. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नोलॉजी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अफाक कुरैशी, बायोटेक्नोलॉजी अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर
		B.Com.-II- Computer Application (Addl. Sub.)	25	2008-09	1. डॉ. जे.के. केशरवानी, प्राचार्य, शास. दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
		B.Com.-III- Computer Application (Addl. Sub.)	25	2009-10	
स्थापना वर्ष-1963-64 छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-56/2015/38-1 दि. 22.08. 2017					

निरीक्षण तिथि : 11.11.2017

आज दिनांक 11.11.2017 वि.वि. के पत्र क्र. 4757/अका./सं./2017 दिनांक 28.08.2017 के तहत सम्बद्धता निरीक्षण किया एवं पाया कि (1) यहाँ नियमित प्राचार्य है। (2) अधोसंरचना पर्याप्त है। (3) बी.एस.सी. बायोटेक. हेतु 30 सीट स्वीकृत है जिसमें प्रथम वर्ष की सम्बद्धता गत वर्ष 2016-17 में लिया गया। इस वर्ष बी.एस.सी. बायो द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया। इस हेतु 1 पद स्वीकृत है इसके विरुद्ध में 1 गेस्ट लेक्चरर कार्यरत है। द्वितीय वर्ष में 10 छात्रों ने प्रवेश लिया है। पुस्तकें और उपकरण पर्याप्त हैं। प्रयोगशाला को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। (4) बी.काम. II & III कम्प्यूटर एप्ली. प्रथम वर्ष में सत्र 2017-18 में 08 छात्रों ने प्रवेश लिया है। II & III में कोई छात्र नहीं है। पी.जी.डी.सी.ए. के लिए नियुक्त शिक्षक द्वारा पढ़ाई कराया जा रहा। अतः 2017-18 बी.एस.सी. द्वितीय एवं बायोटेक. एवं बी.काम. II 2008-09 एवं 2009-10 से संबद्धता हेतु संतुती किया जाता है।

निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. सत्र 2017-18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय: निम्नलिखित महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1	नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला-गरियाबंद
2	शास. स्व. डी.आर.एस. महा. कसडोल, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
	अशासकीय महाविद्यालय
1	गुरुकुल इंस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
2	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
3	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.- खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
4	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
5	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
6	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
7	कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से अंतिम वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से उपाधि प्रदान करने बाबत।

निर्णय: पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से अंतिम वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

02. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर में बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में Botany के स्थान पर Biotechnology की विषय परिवर्तन कर सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार करना।


निर्णय: शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर में बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में Botany के स्थान पर Biotechnology की विषय परिवर्तन कर, B.Sc.-I- (90 seats) Bio Group- Chemistry, Zoology, Biotechnology सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

21

03. अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद	B.Sc.-II Maths, Physics	60	2017-18	1. डॉ. अखिलेश जाधव (भौतिकी), शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. एस.के. भट्ट (गणित) शास. नागार्जुन पीजी विज्ञान महा. रायपुर
निरीक्षण तिथि – 25.11.2017 निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये – 1. भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में अतिथि प्राध्यापक एवं गणित में नियमित सहायक प्रा. कार्यरत है। 2. छात्रों के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त है, परन्तु Text Book नहीं होने के कारण Text Book क्रय करने की अनुशंसा की जाती है। 3. भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में कुल 07 प्रायोगिक कार्य हेतु उपकरण उपलब्ध हैं। शेष उपकरण शीघ्र क्रय किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 4. कक्ष एवं फर्नीचर पर्याप्त संख्या में है। निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 5382 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2017 रायपुर, दिनांक: 27/11/2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

// पूरक परीक्षा-2017 हेतु निर्धारित पूरक परीक्षा केन्द्र-सूची //

क्र.	केन्द्र क.	पूरक परीक्षा केन्द्र का नाम	रजि. नं. 29, पेज नं.	राशि रुपये
जिला-रायपुर				
01	107	शास. डॉ.राधाबाई नवीन कन्या महा., पुरानी बस्ती, रायपुर	10	40000.00
02	112	दुर्गा महाविद्यालय, के. के. रोड, मौदहापारा, रायपुर	12	45000.00
03	113	विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर	14	40000.00
04	115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	16	45000.00
05	128	कला-वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	36	30000.00
06	130	केन्द्रीय-जेल, रायपुर(उप-केन्द्र)	40	5000.00
07	158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा., धरसीवा,	46	10000.00
08	164	सत्य नारायण अग्रवाल शास. महा., कोहका (तिल्दा-नेवरा)	54	30000.00
09	168	शास. बद्रीप्रसाद कला/वाणिज्य महा., आरंग	60	30000.00
10	169	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	62	30000.00
जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा				
11	201	शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार	70	30000.00
12	203	शास. जी.एन.ए. महा., भाटापारा	74	20000.00
13	210	शास. स्व. दौलतराम शर्मा महाविद्यालय, कसडोल	86	20000.00
14	209	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महा., बिलाईगढ़,	84	30000.00
जिला- गरियाबंद				
15	251	शास. राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	88	30000.00
16	253	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	92	20000.00
17	255	शास. वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	94	30000.00
18	259	शास. पं. श्याम शंकर मिश्र महा., देवभोग	96	15000.00
19	262	शास. महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद	96	10000.00
जिला- महासमुंद				
20	301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुंद	102	30000.00
21	306	शास. खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा	108	20000.00
22	307	शास. चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा	110	20000.00
23	309	शास. स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	114	30000.00
जिला- धमतरी				
24	351	शास. स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महा., धमतरी	118	40000.00
25	361	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)	122	20000.00
26	365	संत गुरुघासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद	128	30000.00

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए स्नातक स्तर के ऐसे परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा 2017 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की परीक्षा में शामिल हुये हैं, उनमें से स्नातक स्तर के केवल तृतीय वर्ष के सभी पात्र पूरक परीक्षार्थियों के लिए पूरक परीक्षा केन्द्र सूची :-

क्र.	केन्द्र क.	पूरक परीक्षा केन्द्र का नाम	रजि. नं. 29, पेज नं.	राशि रुपये
जिला- दुर्ग				
27	401	शास. व्ही.एन. यादव तामस्कर स्वशासी महा., जी.ई.रोड, दुर्ग	132	10000.00
28	423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर	142	10000.00
29	461	शास. महाविद्यालय, भिलाई-3	164	10000.00
30	464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	168	10000.00
जिला- बेमेतरा				
31	501	शास. पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेमेतरा	176	10000.00

23

32	502	शास. पं. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	178	10000.00
जिला-बालोद				
33	551	शास. घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	186	10000.00
34	552	शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा,	188	10000.00
35	556	शास. एकलव्य महाविद्यालय, डोंडीलोहारा	196	10000.00
36	562	शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	202	10000.00
जिला-कबीरधाम				
37	601	आचार्य पंथ श्री गृन्धमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा (कबीरधाम)	210	10000.00
जिला-राजनांदगाँव				
38	651	शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	226	10000.00
39	655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	228	10000.00
40	665	शास. लालचक्रधर शाह महाविद्यालय, अम्बागढ चौकी	232	10000.00
41	668	शास. उपाधि महा., डोंगरगाँव,	238	10000.00
42	669	शास. पं.ज.ला.ने. महाविद्यालय, डोंगरगढ	240	10000.00
43	671	शास. रानी रश्मि देवी सिंह महाविद्यालय, खैरागढ	244	10000.00
44	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महा., गण्डई.	214	10000.00
कुल राशि	(अक्षरी रुपये आठ लाख अस्सी हजार मात्र)			8,80000.00 ✓

DA 26-8-17

27-10-17
A/S

FO 27/10/17

// कार्यालयीन टीप //

विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक 3554/स्था0/सा.प्रशा/2017 दिनांक 27/09/2017 के अनुसार डॉ० अब्दुल अलीम खान , प्रोफेसर विधि अध्ययनशाला का दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्ति एवं 240 दिनों के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उपरांत राशि रूपये 14,73,584.00 (रूपये चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी मात्र) का भुगतान किया जाना है।

अतः डॉ० अब्दुल अलीम खान , प्रोफेसर विधि अध्ययनशाला के 240 दिनों के अवकाश नगदीकरण की सकल राशि रूपये 14,73,584.00 (रूपये चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी मात्र) के भुगतान करने के पूर्व माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

वित्त नियंत्रक
वित्त नियंत्रक
पं. र. सु. वि. वि. शायपुर (छ.प.)

Par



विषय:- 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत निम्नलिखित 10 शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गयी है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा।

क्रमांक	विषय	पदनाम	पदसंख्या
1.	पर्यावरण विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	03
2.	प्रबंधन	असिस्टेंट प्रोफेसर (Tourism Management)	01
3.	माइक्रो बायोलॉजी	असिस्टेंट प्रोफेसर	01
4.	बायो कॅमिस्ट्री	असिस्टेंट प्रोफेसर	01
5.	अंग्रेजी	असिस्टेंट प्रोफेसर	01
6.	गणित	असिस्टेंट प्रोफेसर (Cryptography)	01
7.	भौतिकी	असिस्टेंट प्रोफेसर (Space Physics/Astronomy)	01
योग:-			10

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उपरोक्तानुसार स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना/अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

Regish
23/10/17

क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2
प्रति

नया रायपुर, दिनांक 11 / 10 / 2017

-----00-----

कुलपति
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.।

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता के संबंध में।

संदर्भ:- आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2068/के.एस./2016 दिनांक 21.01.2016.

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। जिसमें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए यू.जी.सी. से 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रचलित विषयों के 10(दस) शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की जाती है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक F 2017-38-01125/B.3/चार दिनांक 20.09.2017 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नलिनी माथुर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक / / 2017


क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2
प्रतिलिपि:-

- माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- गार्ड फाईल,

DE Admn
24/10/17

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



(27)

Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)



No.1799/Grant Cell/2015

Raipur, dated 13/01/2015

The Secretary,
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002

Sub:-Creation of faculty position in the University of XII Plan.
Ref.:-UGC letter no. 87-1/2012 (SU-I) dated 25.06.2013 &
Our letter 1730/Grants Cell/2014 Raipur, dt. 19.11.2014

Dear Sir,

This has reference to your letter cited above on the creation of faculty position in the XII Plan of the University. The University has created following faculty position in XII Plan.

S. No.	Subject	Positions
1	Environmental Sciences	1 Associate Professor 3 Assistant Professor
2	Management	1 Assistant Professor (Tourism management)
3	Microbiology	1 Assistant Professor
4	Biochemistry	1 Assistant Professor
5	English	1 Assistant Professor
6	Mathematics	1 Assistant Professor (Cryptography)
7	Physics	1 Assistant Professor (Space Physics/ Astronomy)
	Total	1 Associate Professor 9 Assistant Professor

This is for your kind information & record. The expenditure to these posts during plan period will be debited to the allotment of Rs. 150.00 lac in the re-priorities of the University. The University needs a letter of consent from the UGC that is essentially required for seeking concurrence from the state government for continuation of the post after completion of XII Plan.

Kindly provide the same at an early date.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(K.K. Chandrakor)



विषय:- मूल विज्ञान केन्द्र के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/ 2017/38-2 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा मूल विज्ञान केन्द्र हेतु प्राध्यापक-04, सहप्राध्यापक-04 एवं सहायक प्राध्यापक के 08 एवं 07 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वविद्यालय द्वारा मूल विज्ञान केन्द्र के लिये द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिये प्रेषित प्रस्ताव अनुसार पदों एवं विषयों का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक पद-

क्रमांक	विषय	पदनाम	पदसंख्या	
			द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	भौतिकी	प्रोफेसर	01	-
		एसोसिएट प्रोफेसर	-	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	01	01
2.	रसायन	प्रोफेसर	01	-
		एसोसिएट प्रोफेसर	-	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	01	01
3.	गणित	प्रोफेसर	01	-
		एसोसिएट प्रोफेसर	-	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	01	01
4.	बायोलॉजी	प्रोफेसर	01	-
		एसोसिएट प्रोफेसर	-	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	01	01
योग:-			16	

अशैक्षणिक पद-

क्रमांक	पदनाम	विषय	पदसंख्या	
			द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	सहायक ग्रेड-1	-	01	-
2.	सहायक ग्रेड-2	-	-	01
3.	लैब अटेंडेंट		(05)	-
		भौतिकी	01	-
		रसायन	01	-
		गणित	01	-
		बायोलॉजी	01	-
		कम्प्यूटर विज्ञान	01	-
योग:-			07	

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मूल विज्ञान केन्द्र के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना/अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

29

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 3-2/2017/38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक / / 2017

06 NOV 2017

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.।

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित मूल विज्ञान केन्द्र के
शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 498/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 03.02.2017.

-----00-----

राज्य शासन एतद्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित
मूल विज्ञान केन्द्र (Centre of Basic Sciences) हेतु निम्नानुसार 23 पदों के सृजन की स्वीकृति
प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	
			द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	प्राध्यापक	37,400-67,000+10,000	04	-
2.	सह प्राध्यापक	37,400-67,000+9,000	-	04
3.	सहायक प्राध्यापक	15,600-39,100+6000	04	04
4.	सहायक ग्रेड-1	लेवल-7	01	-
5.	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	-	01
6.	लैब अटेंडेंट	लेवल-3	05	-
योग			14	09

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक f.2017.38.01117/ब.3/चार
दिनांक 13.10.2017 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नलिनी माथुर)
3-11-17
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
निरंतर.../2/

18/11/17
10/11/17

30

//2//

क्रमांक एफ 3-2/2017/38-2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक / /2017

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
4. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
5. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
8. माननीय कुलपति के निज सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, दुर्ग, छ.ग.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय, जिला'-रायपुर, छ.ग.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

sd/-

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



Center for Basic Sciences

Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur, Chhattisgarh

Genesis

Inspire Internship Program on the PRSU campus

The Pt. Ravishankar Shukla University (PRSU), Raipur, Chhattisgarh, is the first higher education institution of the State that volunteered to organize the most ambitious programs of the DST.

The PRSU, so far, has organized about a dozen Inspire Internship Camps, successfully with the sole objective to attract "motivating talented youth to take-up research as a personal undertaking" by sharing shoulders with global icons of science, including Nobel Prize Winners and other top-notch scientists of the country. This component of the program aims at working as a life-long catalyzing experience for the 11th graders in science stream.

While interacting with the young students of Chhattisgarh it was discovered that they have very limited scope to find a satisfactory niche for themselves after passing out 12th grade.

The other most important objective of the INSPIRE internship program is to attract the young minds of the State towards the realm of basic science subjects with adequate incentives.

We discovered that we do not have any ideal model in the State before us that could be offered to them.

Step towards reducing the exodus of bright minds of the State towards Professional Courses, notably Engineering Sciences

In the past decade it has been almost like a fashion in the Society to make each and every 12th grader as an engineer, the branches of the engineering stream notwithstanding.

The irony is that about 83% engineering graduates are unfit for employment (Source: National Employability Report 2012).

Dearth of Good Scientists and Science Teachers

- Despite existence of many reputed institutions the country is facing with the acute dearth of good scientists and equally good science teachers in the country.
- Few IITs, IISc, IISER or NISER are not enough to fulfill the needs of our Nation.
- There has to be concerted efforts from all corners of the country to establish centers of excellence that is capable of producing quality scientists and science teachers.

4. The CBS will Accrue Benefit to the Tribal Youth of Chhattisgarh

Chhattisgarh State has thirty two percent population of scheduled tribe that includes primitive tribes of "Abhujmad" area prone to strong social unrest for a long time. Notwithstanding vast spread of area populated by ST, the State has potential for providing very good stuff of young talented students.

(32)

It is evident from the result of Chhattisgarh State Higher Secondary Examination results and from the participation in Inspire Science Camp organized by Pt. RavishankarShukla University wherein good number of students from the tribal areas participates; they belong to top one percent brilliant students of the entire State. If these students are given opportunity for studying basic science subjects exclusively through the proposed Center for Basic Sciences, it would be a remarkable contribution to the society, as it will likely to promote the inclusive character mentioned in the present constitution of the democratic Indian society.

5. Proactive Role of Government of Chhattisgarh

The Government of Chhattisgarh responded proactively to a pre-proposal presented/discussed earlier. Consequently, the Government has taken a major initiative to create the Center for Basic Sciences (CBS) on the campus of the PRSU, realizing that universities are the life line and backbone of our education system. To make it happen, the Government of Chhattisgarh generously provided seed money to the PRSU for the establishment of CBS and assured the University of continuous support in the coming years. It has also been realized that positioning the CBS in the University ambience would in the long run yield meaningful dividend and will achieve its objectives and goals

6. Objectives of the Center for Basic Sciences (CBS)

- CBS offers 5-year Integrated PG programs in select areas of basic sciences, notably, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany and Zoology that will be amenable to 12th graders.
- The center will also offer Integrated PG-PhD program, Research-based PG and PhD alone programs that will be the ultimate hallmark of the CBS.
- The principal objective of the CBS is to motivate talented 12th graders to take-up basic science subjects as their career undertaking.
- The goal of the proposed center is to produce first class scientists and first class science teachers.

7. An Overview of Courses in CBS

Integrated M.Sc.

CBS offers a 5-year integrated M.Sc. program in basic sciences after 10+2 years of schooling (or equivalent). At present the institute has four major schools, namely Life Science, Chemistry, Mathematics and Physics. After successful completion of the academic requirements students are awarded a Master of Science degree in one of the four subjects: Biology, chemistry, mathematics or physics. The program includes a balanced semester-based course structure that emphasizes

interdisciplinary nature of science in the 21st century and promote quest among students searching truth through innovative methods and techniques. Normally, selected students will be accepted in the school of their choice, subject to availability of seats. At the end of the first year, a student will have an opportunity to change to another school, subject to availability of a seat in that school.

The curriculum for the first two semesters (first year) is common to all students and specialization begins from the third semester. The core courses in the subject of specialization provide strong foundations in both theoretical and experimental aspects of the discipline. Even after specialization in second year, students are required to go through a certain number of courses in other disciplines. All students are required to go through a small number of compulsory courses in humanities, technical communication, history of science, environmental and energy sciences. The fourth year of the integrated M.Sc. Program is devoted to advanced courses in various sub-disciplines. In the fifth year every student will undertake a guided research project. The outcome of the investigation will be reported in the form of a thesis. Throughout the five-year program, students will be encouraged to take up summer projects and visit reputed national laboratories and universities. Eminent scientists from India and abroad will be regularly invited to give colloquia/seminars and interact with the students. In short the curricula are designed to ensure depth in the area of specialization together with breadth of exposure and intellectual enrichment and to prepare the students for high level professional research and development career in national laboratories, universities and industry. **The academic session for fresh students generally begins on July 1 of the year.**

Integrated M.Sc.-Ph.D.


CBS will admit students for Integrated M.Sc.-Ph.D. program in various schools through appropriate entrance tests. Candidates with B.Sc., B.E. and B.Tech. degrees, can join this program if they pass through the selection procedure. B.Sc. students will be required to take 12 courses and carry out an M.Sc. level project before he/she joins the Ph.D. research stream. All Ph.D. Scholars are required to qualify written and oral comprehensive tests and candidacy examinations before submitting the thesis. The thesis will be examined by external reviewers. It has to be publicly defended before the candidate will be declared successful for the award of the Ph.D. Degree. **This program will be introduced in July, 2018.**

Ph.D.

Students with Master degree in basic sciences, e.g., Biology, Chemistry, Mathematics and Physics will be admitted for Doctoral Program under the guidance of faculty members of CBS, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. The students will be required to take 6 courses (or more depending on counseling). They will also be required to take qualifying written and oral comprehensive tests and candidacy examinations before submitting the thesis. The thesis will be examined by external reviewers. It has to be publicly defended before the candidate will be declared successful for the award of the Ph.D. Degree. **This program will be introduced in July 2020.**

Work Completed in the Ist Phase of Establishment of CBS (2015-16)

1. **The Syllabus for Integrated MSc and its Structure:** The syllabus and its structure: for 5 year Integrated MSc (Physics, Chemistry, Biology and Mathematics) has been prepared and approved by respective Board of Studies.
2. **Ordinance for Integrated MSc:** Ordinance for Integrated MSc (Physics, Chemistry, Biology and Mathematics) has been prepared and approved by academic council and submitted for approval in the next Coordination meeting.
3. **CBS Regulations:** For smooth running of Center for Basic Sciences, two CBS Regulations-
 - (i) Regulation No. 167 CBS- Integrated MSc(E.C. under 17 -02-2016), and
 - (ii) Regulation No. 168 CBS Autonomy (E.C. under 17 -02-2016)
 have been approved by the Executive Council in the meeting held on 17-02-2016..
4. **Web-site:** An independent web-site has been lunched with necessary fields. An independent url www.cbsraipur.ac.in has been provided to the Center for Basic Sciences which will be completely dedicated to all activities of CBS.
5. **LOGO:** A separate LOGO is dedicated to the Center for Basic Sciences to earmarked the archeological heritage of the 7th century **Laxman Temple** (dedicated to lord Vishnu) at Sirpur (Chhattisgarh) depicting the glory of Chhattisgarh. It is, indeed, one of the finest brick temples of India with a stone doorframe.
6. **E-Governance:** From the very first academic session 2015-16 we have adopted e-governance mechanism in the CBS. Online registration for Entrance Screening Examination (EST 2015) for admission in CBS was our first drive in this direction.
7. **Lab-equipment:** Purchase of Lab equipment for Physics, Chemistry, Biology and Computer PCs/Software for Mathematics & Computer Science required to run Semester I,II,III has been completed and the purchased items are being used from the first academic session 2015-16.
8. **Classroom Furniture :** Purchase of Class rooms furniture, Green/White/interactive Boards, Computer tables has been done to run Semester I-II in the academic session 2015-16.
9. **Appointment:** Appointment of Teaching/Nonteaching Faculty for CBS is under progress. Advertisement received huge response from all over the country. Contract teachers have been appointed till the appointment of regular faculty.
10. **Building:** Ground floor and 1st floor of CBS building (G+4) is almost completed. Work on infrastructural and interior Lab requirements shall be completed within a couple of months.



Front view of the building of
Center for Basic Sciences

BS Teacher-Student Strength

36

No.	Year → Description of Courses & Faculty ↓	Ist Year	IInd Year	IIIrd Year	IVth Year	Vth Year	Total
1. (A)	Enrollment of Students in Ist Semester	40	50	60*	60*	60*	270
(B)	Cumulative Strength	40	90	150	210	270	
2.(A)	No. of Courses that will be taught	18	49	54	39	Project & Dissertation	
(B)	Cumulative No. of Courses that will be taught	18	67	121	160	Project-4 & Dissertation-4	159+Project-4 & Dissertation-4
3.	Director	01	---	---	---	---	01
4. (A)	Faculty Required in Phases						
	(i) Assistant Professor	08	04	04	05	05	26
	(ii) Associate Professor	---	---	04	---	---	04
	(iii) Professor	---	04	---	---	---	04
(B)	Cumulative Faculty Strength →	08	16	24	29	34	34
5.	Lab Technician	05	---	---	---	---	05
6.	Lab Attendant	---	---	---	05	---	05
	Office Assistant- LDC Grade-I	---	01	---	---	---	01
	LDC Grade-II	---	---	01	---	---	01

- Enrollment of Students can be further increased subject to availability of scholarship, hostel accommodation, enhanced lab facility
- Teacher-Student Ratio 1: 8 (International Standard)
- Total Credit Point required to gate 5-Year Integrated M.Sc. Degree: 240 Credit Point

37

Concurrence required from Government of Chhattisgarh

Concurrence of Teaching & Non-Teaching post required for CBS from Government of Chhattisgarh as per the table below:

S. No	Year	Post		Number of post	Scale	Remark (From Govt. of Chhattisgarh)
		Teaching	Non-Teaching			
1.	2015	Director		01	37400-67000 +AGP 10000	Concurrence Obtained (i) Assist. Prof.: Physics-01, Chemistry-01, Botany-01, Zoology-01, Mathematics-01, Hindi-01, Computer Sci-01, English-01, (ii) Lab Tech.: 01 each for Chemistry, Physics, Botany, Zoology & Computer Sci Lab
		Assistant Professor		08	15600-39100 +AGP 6000	
			Lab Technician	05	5200-20200 + AGP 2400	
2.	2016	Professor		04	37400-67000 +AGP 10000	Concurrence required (i) Professor: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (ii) Assist. Prof.: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (iii) LDC Gr-I: CBS Office (iv) Lab Attendant: 01 each in Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer Sci.
		Assist. Professor		04	15600-39100 +AGP 6000	
			Office Assist. LDC Gr-I	01	5200-20200 + AGP 2800	
			Lab Attendant	05	5200-20200 + AGP 1800	
3.	2017	Associate Professor		04	37400-67000 +AGP 9000	Concurrence required (i) Associate Professor: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (ii) Assist. Prof. : Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (iii) LDC Gr-II CBS Office
		Assist. Professor		04	15600-39100 +AGP 6000	
			Office Assist. LDC Gr-II	01	5200-20200 + AGP 2400	
4.	2018	Assist. Professor		05	15600-39100 +AGP 6000	Concurrence required (i) Assist. Prof. : Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01, CBCS*-01
5.	2019	Assist. Professor		05	15600-39100 +AGP 6000	Concurrence required (i) Assist. Prof. : Physics-02, Chemistry-01, CBCS*-01, Mathematics-01

➤ **Subject-wise Final Tally of Faculty position & Lab assistant**

S.No.	Department	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Lab Technician	Lab Attendant
1.	Physics	01	01	06	01	01
2.	Chemistry	01	01	05	01	01
3.	Biology	01	01	05	02	01
4.	Mathematics	01	01	05	--	01
5.	Computer Sci.			01	01	01
6.	Hindi			01		
7.	English			01		
8.	CBCS*			02		
Total		04	04	26	05	05

Budget Summary (Estimated)

S. No.	Phase-wise Budget Requirement	Session-wise	Recurring	Non-Recurring	Proposed Budget (Rec.+ NonRec.)	Grant Received From Govt. of Chhattisgarh
1.	Ist Phase (Budget Proposed)	2015-2016	12418560	11500000	23918560	200 Lakhs
2.	IInd Phase	2016-2017	24917120	13100000	38017120	NIL
3.	IIIrd Phase	2017-2018	33796094	8000000	41796094	NIL
4.	IVth Phase	2018-2019	48458075	10000000	58458075	NIL
5.	Vth Phase	2019-2020	65315155	15000000	80315155	NIL
Grand Total			184905004	57600000	242505004	200 Lakhs

Remark: No budget is claimed in this table for Building construction

39

Details of Year-wise Budget Structure

For

Center for Basic Sciences

Budget Requirement (First Year: Session 2015-16)

The budget requirement presented in the table below (Table-1R) just fulfils the optimal condition to run the first year course (Semester I-II) only in CBS, Pt. RavishankarShukla University

No.	Description of HR & Infrastructure	Budget Required	Remark
I. Recurring Expenses:			
	Director-01	1190400	Administration
	Faculty-08 Assistant Professor	4512000	Assistant Prof. 01 each in Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Hindi/FC, English, Computer Sci.
3.	Laboratory : i) Lab Technician-05	957600	01 Lab Technician in each Lab: Physics, Chemistry, Botany, Zoology & Computer Sci.
	ii) Chemical/Glassware/Consumable/Miscellaneous	1000000	4 Lac- Chemical Science 2Lac-Physical Science 4 Lac-Biological Science
4.c	Office Assistance-01	201600	LDC Grade-1
5.	Library	500000	1 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics Botany & Zoology
6.	Computer Peripheral : Software	500000	5 Lac for Legal Software
7.	Scholarship : 1st year students only	2400000	40* Students, Scholarship of Rs. 5000/student/month
8.	Laboratory Expenses	1000000	2 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics/Computer, Botany & Zoology
9.	Peon -02	156960	@ Collector rate (198 +20= Rs.218/day)
10. II. Non-Recurring Expenses:			
	a. Computer with peripheral	2500000	40 PCs
	b. Instruments	6000000	20 Lac Chemical Science
	c. Lab Furnishing (Gas/Electric /Water/ Lab Furniture)	1500000	20 Lac Physical Science 20 Biological Science
	d. Director Room, Staff, Office & Class Room Furniture	1500000	2 Class rooms with capacity of 60 students
Grant Required (1st Year)		23918560	

Table-1R

* Student intake in Semester-I will be 40 in first year.

40

Budget Requirement (Second Year: Session 2016-17)

The budget requirement presented in the table below (Table-2R) just fulfils the optimal condition to run the course from Semester I-IV in CBS, Pt. RavishankarShukla University

	Description of HR& Infrastructure	Budget Required	Remark
I. Recurring Expenses:			
1.	Director-01	1368960	Includes increment
2.	Faculty : i) 08 (Existing) ii) 04 Professor ii) 04 Assistant Professor (New)	12136800	Includes increment (i)Professor: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (ii)Assist. Prof.: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01
3.	Laboratory : i) Lab Technician-05 (Existing)	1101240	Includes increment
	ii) Lab Attendant-05(New)	894600	1 for each Lab-Physics, Chemistry, Biology, Computer Sci., Communication Skill
	iii) Chemical/ Glassware/ Consumable/ Miscellaneous	1200000	4 Lac- Chemical Science 4 Lac-Physical Science 4 Lac-Biological Science
4.	Office Assistance- 01 (New)	201600	LD Grade-I
5.	Library	1000000	2 Lac each: Physics, Chemistry Mathematics/Computer, Biology
6.	Computer Peripheral : NW + Maintenance	300000	Computer Lab
7.	Scholarship: 1st year & IInd year students only	5400000	90** Students, Scholarship of Rs. 5000/student/month
8.	Laboratory Expenses	1000000	2 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics/Computer, Biology
	Peon- i) 02 (Existing) ii) 02 (New)	313920	@ Collector rate (198 +20= Rs.218/day)
II. Non-Recurring Expenses:			
10.	a. Instrument	10500000	25 Lac Chemical Science 25 Lac Physical Science
	b. Lab Furnishing	2000000	25 Lac Communication Skill Lab 30 Lac Biological Science
	c. Class Room Furniture	600000	2 Class rooms with capacity of 60 students
Grant Required (IInd Year)		38017120	

Table-2R

** Student intake in Semester-I will be increased from 40 to 50 in second year. The total strength of students in CBS would become 90 in second year.

4

Budget Requirement (Third Year: Session 2017-18)

The budget requirement presented in the table below (Table-3R) just fulfils the optimal condition to run the course from Semester I-VI in CBS, Pt. RavishankarShukla University

S. No.	Description of HR& Infrastructure	Budget Required	Remark
I. Recurring Expenses:			
1.	Director-01	1574304	Includes increment
2.	Faculty : i) 16 (Existing) ii) 04 (New)* iii) 04 (New)** Associate Professor ** Assistant Professor	15583320	Includes increment (i) Associate Professor: Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01 (ii) Assist. Prof. : Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01
3.	Laboratory : i) Lab Technician-05 (Existing)	1266426	Includes increment
	ii) Lab Attendant-05 (Existing)	1028790	Includes increment
	iii) Chemical/ Glassware/ Consumable/ Miscellaneous	1700000	5Lac- Chemical Science 4 Lac-Physical Science 8 Lac-Biological Science
4.	Office Assistance-(i) 01 (Existing) (ii) 01 (New)	472374	Includes increment LDC-Grade II
5.	Library	1500000	3 Lac each: Physics, Chemistry Mathematics/Computer, Biology
6.	Computer Peripheral : NW + Maintenance	200000	Computer Lab
7.	Scholarship: 1st + IInd + IIIrd year Students	9000000	150** Students, Scholarship of Rs. 5000/student/month
8.	Laboratory Expenses	1000000	2 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics/Computer, Biology
9.	Peon- i) 04 (Existing) ii) 02 (New)	470880	@ Collector rate (198 +20= Rs.218/month)
II. Non-Recurring Expenses:			
10.	Instruments	8000000	25 Lac Chemical Science 25 Lac Physical Science 30 Lac Biological Science
Grant Required (IIIrd Year)		41796094	

Table-3R

** Student intake in Semester-I will be increased from 50 to 60 in third year. The total strength of students in CBS would become 150 in third year.

(42)

Budget Requirement (Fourth Year: Session 2018-19)

The budget requirement presented in the table below (Table-4R) just fulfils the optimal condition to run the course from Semester I-VIII in CBS, Pt. RavishankarShukla University

S. No	Description of HR& Infrastructure	Budget Required	Remark
I. Recurring Expenses:			
1.	Director-01	1779648	Includes increment
2.	Faculty : i) 24 (Existing) ii) 05 (New)* *Assistant Professor	23767218	Includes increment (i) Assist. Prof. : Physics-01, Chemistry-01, Biology-01, Mathematics-01, CBCS*-01
3.	Laboratory : i) Lab Technician-05 (Existing)	2413990	Includes increment
	ii) Lab Attendant-05 (Existing)	1183109	Includes increment
	iii) Chemical/ Glassware/ Consumable/ Miscellaneous	2000000	5 Lac- Chemical Science 5 Lac-Physical Science 10 Lac-Biological Science
4.	Office Assistance-02 (Existing)	543230	Includes increment
5.	Library	1500000	3 Lac each: Physics, Chemistry Mathematics/Computer, Boilogy
6.	Computer Peripheral : NW + Maintenance	200000	Computer Lab
7.	Scholarship: 1st + IIInd + IIIrd year +IV th Year Students	12600000	160 Students, Scholarship of Rs. 5000/student/month
8.	Laboratory Expenses	2000000	4 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics/Computer, Biology
9.	Peon- 06 (Existing)	470880	@ Collector rate (198 +20= Rs.218/month)
II. Non-Recurring Expenses:			
10.	Instruments	10000000	30 Lac Chemical Science 30 Lac Physical Science 40 Lac Biological Science
Grant Required (IVth Year)		58458075	

Table-4R

* Student intake in Semester-I will be fixed to 60 in fourth year. The total strength of students in CBS would become 210 in fourth year.

Budget Requirement (Fifth Year: Session 2019-20)

43

The budget requirement presented in the table below (Table-4R) just fulfils the optimal condition to run the course from Semester I-X in CBS, Pt. RavishankarShukla University

S. No.	Description of HR& Infrastructure	Budget Required	Remark
I. Recurring Expenses:			
1.	Director-01	2046595	Includes increment
2.	Faculty : i) 29 (Existing) ii) 05 (New)* *Assistant Professor	33178701	Includes increment i) <u>Assist. Prof.</u> : Physics-02, Chemistry-0 CBCS*-01, Mathematics-01
3.	Laboratory : i) Lab Technician-05 (Existing)	2776089	Includes increment
	ii) Lab Attendant-05 (Existing)	2318175	Includes increment
	iii) Chemical/ Glassware/ Consumables/Miscellaneous	3000000	10Lac- Chemical Science 10 Lac-Physical Science 10 Lac-Biological Science
4.	Office Assistance-02 (Existing)	624715	Includes increment
5.	Library	2500000	5 Lac each: Physics, Chemistry Mathematics/Computer, Boilogy
6.	Computer Peripheral + NW + Maintenance	200000	Computer Lab
7.	Scholarship : I + IInd + IIIrd year +IV th Year V th Year Students	16200000	270 Students, Scholarship of Rs. 5000/student/month
8.	Laboratory Expenses	2000000	4 Lac each: Physics, Chemistry, Mathematics/Computer, Biology
9.	Peon- 06 (Existing)	470880	@ Collector rate (198 +20= Rs.218/month)
II. Non Recurring Expenses:			
10.	<u>Instruments</u>	15000000	50 Lac Chemical Science 50 Lac Physical Science 50 Lac Biological Science
Grant Required (Fifth Year)		80315155	

Table-5R

**** Student intake in Semester-I will be fixed to 60 in fifth year. The total strength of students in CBS would become 210 in fifth year.**

Place : Raipur

Date :05.04.2016

44

K. K. Chandrakar)

Registrar

Pt. RavishankarShukla University

Raipur, Chhattisgarh

(Prof. S. K. Pandey)

Vice-Chancellor

Pt. RavishankarShukla University

Raipur, Chhattisgarh



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- गुरु घासीदास शोधपीठ के लिये स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करना।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 19-19/2017/38-2 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में संचालित गुरु घासीदास शोधपीठ हेतु अध्यक्ष - 01 पद, सहायक ग्रेड 3 - 01 पद एवं भृत्य का 01 पद की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गुरु घासीदास शोधपीठ के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना/अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

46

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 19-19/2017/38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 31 / 10 / 2017

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.।

विषय:- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में गुरु घासीदास शोधपीठ हेतु पदों के सृजन की सहमति बाबत।

-----00-----

राज्य शासन एतद्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में संचालित गुरु घासीदास शोधपीठ हेतु निम्नानुसार 03 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1.	अध्यक्ष	-	01
2.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	01
3.	भृत्य	लेवल-1	01
योग			03

र.ग. शास्त्री
10/11/17

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक f.2017.38.01118/ब.3/चार दिनांक 13.10.2017 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नलिनी माथुर)
30-10-17

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक / / 2017

क्रमांक एफ 19-19/2017/38-2
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

निरंतर.. / 2/

//2//

47

8. माननीय कुलपति के निज सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।
9. डॉ. जे.आर. सोनी, अध्यक्ष, गुरु घासीदास शोधपीठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, परिसर, रायपुर, छ.ग.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय, जिला-रायपुर, छ.ग.।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

48
कार्यपरिषद में रखे जाने वाले टीप:-

विषय:-सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के द्वारा त्यागपत्र हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 31.10.2017 पर विचार करना।

सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पूर्व में दिनांक 31.10.2017 को ई-मेल द्वारा एवं दिनांक 03.11.2017 को पत्र के माध्यम से त्यागपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

विश्वविद्यालय सेवा से त्याग पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 12 का प्रावधान निम्नानुसार है:-

“A permanent employee shall be required to give three months notice in case he wishes to resign or he shall pay to the University three month's salary in lieu of such notice. If the University terminates the services of a permanent employee, a notice to that effect shall be served on him three month before the date on which he is to be relieved. In the absence of such notice the University shall pay him three month's salary. Such notice shall not be necessary if the employee is removed from service, dismissed or compulsorily retired.”

सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा परिनियम 31 के उपरोक्त प्रावधानानुसार 03 माह पूर्व सूचना या 03 माह का वेतन जमा नहीं किया गया है।

सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा प्रेषित ई-मेल दिनांक 31.10.2017 को 03 माह पूर्व सूचना मान्य किये जाने पर 03 माह की अवधि 30.01.2018 को पूर्ण होगी।

अतः सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान द्वारा प्रेषित ई-मेल दिनांक 31.10.2017 के अनुसार 30.01.2018 से त्याग पत्र स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

विषय:— डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर का याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी(एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के पूर्व में दायर याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.10.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि— “डॉ. बी.के. मेहता निलंबन की तिथि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31.12.2008 तक निलंबित रहे हैं और इस प्रकार 06 वर्षों से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस स्थिति में अब अग्रिम जांच करना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है और डॉ. बी.के. मेहता जिनकी आयु अब लगभग 68 वर्ष हो गई है, के विरुद्ध यदि जांच की जावेगी तो उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक प्रताड़ना भी होगी। ऐसी स्थिति में उनकी निलंबन अवधि पर No work no pay का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हुए सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जावे।”

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णयानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6956/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 31.12.2014 के द्वारा डॉ. बी.के. मेहता को दिनांक 31.12.2008 से निलंबन से सेवा में बहाल किया गया। तथा इन्हें निलंबन अवधि में दिये राशि/स्वत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा तथा इनकी निलंबन अवधि पेंशन के लिये अर्हता सेवा मान्य की गयी है।

याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी(एस) क्रमांक 1845/2017 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 8 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है:—

Therefore, in these circumstances, decision of respondents not to pay salary for the period of suspension meaning thereby that the financial benefits have been confined only to the suspension allowance that may have been paid to the petitioner while he was under suspension, deserves to be set aside. The authority shall exercise their discretion afresh on relevant considerations without application of principle of “No Work No Pay” and arrive at fresh decision whether the petitioner should be allowed full salary for the period remained under suspension or confined only to the suspension allowance already paid to him. The decision shall be taken by the University as early as possible preferably within a period of three months from the date of meeting of the Executive Council, after the date of this order.

अतः कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

50

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

WPS No.1845 of 2017

- Dr. B. K. Mehta S/o Late Shri H. P. Mehta, Aged About 72 Years R/o & C/o Dr. J. K. Mehta, 2 B 2 Sonal Towers, Near Agrasen Chowk, District Bilaspur (Chhattisgarh)

---- Petitioner

Versus

1. Pt. Ravishankar Shukla University Through Registrar, Raipur, District Raipur (Chhattisgarh)
2. Executive Committee, Through The Chairman, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, District Raipur (Chhattisgarh)

---- Respondents

For Petitioner
For Respondents

Shri Prateek Sharma, Advocate
Shri Neeraj Choubey, Advocate

Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava

Order On Board

High Court of Chhattisgarh

15/11/2017

Heard.

2. The petitioner seeks to challenge resolution dated 05-11-2014 passed by the Executive Council of the University, followed by order dated 31-12-2014, by which, to the extent it denies full salary in respect of the period, during which, the petitioner remained under suspension.

3. Learned counsel for the petitioner, relying upon the decision of the Supreme Court in the case of ***Shobha Ram Raturi vs. Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limitd and Ors., AIR 2016 SC 157***, would submit that in a case, where proper treatment to the period under suspension is to be given in exercise of powers under the applicable rules, the principle of "No Work No Pay" has no application. Therefore, the decision making progress in purported exercise of power under Clause 61 of the Statute No.31 is bad in law.

4. Learned counsel for the respondents would submit that apart from applying the



principle of "No Work No Pay", other relevant considerations, as reflected from the resolution, prevailed with the authority to put an end to the dispute and close the chapter in a particular manner. He would submit that the authorities have decided not to proceed further against the petitioner, looking to the fact that he was superannuated in the year 2008 and aged 68 years. The departmental enquiry, which the respondents could have initiated, in exercise of liberty granted by this Court on the allegations of financial irregularity and loss to the institution, was dropped. Therefore, the decision cannot be said to be illegal. He further submits that the petitioner otherwise has alternative and statutory remedy of filing an appeal before the Chancellor.

5. True it is that there appears to be alternative remedy of filing an appeal before the Vice Chancellor, the settled legal position as adumbrated by the Supreme Court in the case of **Shobha Ram Raturi** (supra), while exercising discretionary jurisdiction with regard to treatment to be given to the period of suspension, the principle of "No Work No Pay" will have no application.

6. After going through the resolution dated 05-11-2014, I find that in order to come to the decision that the petitioner will not be paid salary for the period, during which, he remained under suspension, certain considerations along with principle of "No Work No Pay" has been made applicable. There lies a defect in the decision making process. The process is infected by consideration not permissible under the law i.e. non-applicability of principle of "No Work No Pay" in the matter of proper treatment to the period of suspension.

7. In the case of **Shobha Ram Raturi** (supra), Hon'ble Supreme Court examined the issue, as below:-

1. It is not a matter of dispute, that the appellant was retired from service on 31.12.2002, even though he would have, in the ordinary course, attained his date of retirement on superannuation, only on 31.12.2005. The appellant assailed the order of his retirement dated 31.12.2002 by filing writ petition no. 751 of 2003. The same was allowed by a learned Single Judge of the Punjab and Haryana High Court, on 14.09.2010. The operative part of the order is extracted hereunder:

"Accordingly the present writ petition is allowed; order dated

31.12.2002 (Annexure P-4) is quashed. The petitioner would be treated to be in continuous service with all consequential benefits. However it is clarified that since the petitioner has not worked on the post maxim of "no work, no pay" shall apply and the consequential benefits shall only be determined towards terminal benefits. However there will be no order as to costs."

2. The denial of back wages to the appellant by the High Court vide its order dated 14.09.2010 was assailed by the appellant by filing Letters Patent Appeal No. 489 of 2011. The High Court rejected the claim of the appellant, while dismissing the Letters Patent Appeal on 26.5.2011. The orders dated 14.09.2010 and 26.5.2011 passed by the High Court limited to the issue of payment of back wages, are subject matter of challenge before this Court.

3. Having given our thoughtful consideration to the controversy, we are satisfied, that after the impugned order of retirement dated 31.12.2002 was set aside, the appellant was entitled to all consequential benefits. The fault lies with the respondents in not having utilised the services of the appellant for the period from 1.1.2003 to 31.12.2005. Had the appellant been allowed to continue in service, he would have readily discharged his duties. Having restrained him from rendering his services with effect from 1.1.2003 to 31.12.2005, the respondent cannot be allowed to press the self serving plea of denying him wages for the period in question, on the plea of the principle of "no work no pay".

8. Therefore, in these circumstances, decision of respondents not to pay salary for the period of suspension meaning thereby that the financial benefits have been confined only to the suspension allowance that may have been paid to the petitioner while he was under suspension, deserves to be set aside. The authority shall exercise their discretion afresh on relevant considerations without application of principle of "No Work No Pay" and arrive at fresh decision whether the petitioner should be allowed full salary for the period remained under suspension or confined only to the suspension allowance already paid to him. The decision shall be taken by the University as early as possible preferably within a period of three months from the date of first meeting of the Executive Council, after the date of this order.

9. Accordingly, this petition is finally disposed off.

SD/-
(Manindra Mohan Shrivastava)
Judge



53

1

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

W.P. No.1730 of 2006

PETITIONER: Prof. Dr. BK Mehta

Versus

RESPONDENTS: Pt. Ravishankar Shukla University & others.

Present:

Shri Prateek Sharma, counsel for the petitioner.
Shri Ajay Dwivedi, counsel for the respondents.

Copy of

ORDER

(Passed on 01st September, 2014)

PRASHANT KUMAR MISHRA, J.

1. In this petition under Article 226/227 of the Constitution of India, the petitioner has sought quashment of the order dated 20.12.2005 (Annexure-P/36) issued by the Registrar of the University constituting a departmental enquiry against the petitioner on imputation of 7 charges. Prayer for quashment of consequent appointment of respondent No.4 Prof. Dr. GL Mundra, enquiry officer and respondent No.5 Dr. RK Pradhan, as Presenting Officer as well as initiation of enquiry proceeding by the enquiry officer vide Ex.-P/40 has also been sought by the petitioner.
2. Facts necessary for adjudicating the issue brought before this Court are that at the relevant time the petitioner was working as Director of distance education in respondent No.1 Pt. Ravi Shankar Shukla University (for short 'the University') having been appointed as such on 22.11.2002 vide Annexure-P/3. The petitioner got commenced the distance education programme in the University for the academic session 2003-04 and the University also permitted opening of distance education centres of the



55

3

4. It has been urged by learned counsel for the petitioner that the Registrar had no authority to initiate enquiry by issuing charge sheet because the petitioner having been appointed by the Executive Council (for short 'EC'), under the relevant statute of the University, enquiry could have been initiated by the EC and not by the Registrar or Vice Chancellor. He would also submit that the petitioner had not taken decision on his own, but the decision to open the distance education centres; commencement of courses from the academic session 2003-04 and conduct of examination was taken by the University in different meetings under the Chairmanship of the Vice Chancellor and thus, the petitioner alone cannot be singled out for enquiry.
5. Per contra, learned counsel for the respondent/University would submit that the merits of the charges cannot be examined by the Court in exercise of powers under Article 226 of the Constitution of India; the EC had authorized the Vice Chancellor to issue charge sheet, therefore, the Registrar was competent to constitute enquiry and issue charge sheet.
6. In *Union of India and another Vs. Kunisetty Satyanarayana* {(2006) 12 SCC 28} the Supreme Court after relying its earlier decision in the matters of *Executive Engineer, Bihar State Housing Board Vs. Ramesh Kumar Singh*¹, *Special Director Vs. Mohd. Ghulam Ghouse*², *Ulagappa Vs. Divisional Commr., Mysore*³, *State of UP Vs. Brahm Datt Sharma*⁴ has held in paragraphs-14 & 16 thus:-

"14. The reason why ordinarily a writ petition should not be entertained against a mere show-cause notice or charge-

1(1996) 1 SCC 327
2(2004) 3 SCC 440
3(2001) 10 SCC 639
4(1987) 2 SCC 179



University outside the State of Chhattisgarh. Pursuant to the said decision, MoU was entered between the University and the said institutions recognizing them as institutions for information and guidance centres/study centres of Institute of Distance Education of the University. The institutions were permitted to admit students, however, later on, the said permission was cancelled, which led to filing of writ petitions by the institutions bearing WP No.5217/2005 and other connected writ petitions, which were decided by a common order dated 22.2.2006 and the institutions were permitted to admit students. In the said matter, the University raised a plea that there were allegations of mass copying in the examination centres, which necessitated stoppage of admissions in the centres outside the State.



3. In the charge sheet issued against the petitioner, the following charges were leveled against him:-

- (i) He opened the distance education programme even before the resolution dated 2.1.2004 passed by the Executive Council of the University;
- (ii) He allowed the study centres outside the State;
- (iii) He commenced the courses without obtaining permission from Distance Education Council;
- (iv) He did not prepare the study materials for different courses and did not obtain approval of the same;
- (v) He could not control the mass copying; breach of confidentiality; appearance of proxy examinees etc. during the examination conducted in the study centres;
- (vi) He got published such news items in the print and electronic media, which has tarnished the image of the University;
- (vii) He did not provide study materials and the courses to the study centres well in advance.





57

5

10. It is admitted position before this Court that the petitioner's appointing authority is the Executive Council, therefore, it is the said body, who is competent to take decision regarding initiation of enquiry and serving the charge sheet. The stand of the University is that in the EC meeting dated 24.9.2005, a decision was taken to constitute departmental enquiry and the Vice Chancellor (for short 'the VC') was authorized to initiate enquiry.

11. Annexure-P/29 is the minutes of the EC meeting dated 24.9.2005. It is apt to quote the relevant part of the resolution passed in the said meeting, which according to the University, authorized the VC to constitute departmental enquiry against the petitioner.

"दूरस्थ शिक्षा के प्रकरण पर ऐसी स्थिति जिससे विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता एवं छवि धूमिल हो रही है, के लिये कौन जिम्मेदार है । इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्थिति तक की कार्यवाही एवं जांच हेतु एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जावे । जांच समिति के नाम निर्देशन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है ।"

12. A reading of the resolution passed in the EC meeting on 24.9.2005, as quoted above, makes it manifest that a decision was taken to constitute one member enquiry committee to enquire into affairs concerning distance education, which has dented the credibility and image of the University. The VC was authorized to constitute Enquiry Committee, however, it nowhere appears that in this meeting, the VC was authorized to constitute a departmental enquiry against the petitioner. In fact, such a decision could not have been taken in this meeting of the EC because the meeting only resolved to constitute enquiry committee which means that the Committee shall submit a report after enquiry and thereafter whosoever is

58

4

sheet is that at that stage the writ petition may be held to be premature. A mere charge-sheet or show-cause notice does not give rise to any cause of action, because it does not amount to an adverse order which affects the right of any party unless the same has been issued by a person having no jurisdiction to do so. It is quite possible that after considering the reply to the show-cause notice or after holding an enquiry the authority concerned may drop the proceedings and/or hold that the charges are not established. It is well settled that a writ petition lies when some right of any party is infringed. A mere show-cause notice or charge-sheet does not infringe the right of anyone. It is only when a final order imposing some punishment or otherwise adversely affecting a party is passed, that the said party can be said to have any grievance.

16. No doubt, in some very rare and exceptional cases the High Court can quash a charge-sheet or show-cause notice if it is found to be wholly without jurisdiction or for some other reason if it is wholly illegal. However, ordinarily the High Court should not interfere in such a matter."

7. In view of the above settled legal position, this Court is of the considered opinion that the merits of the charges cannot be gone into at this stage, when the petitioner has been called upon to defend himself in the enquiry and the same cannot be examined under Article 226 of the Constitution of India and as such, challenge to the charge sheet on this ground is not tenable.
8. This Court shall now consider as to whether charge sheet can be quashed on the ground that the same has not been issued by the competent authority and thus, constitution of the enquiry is without jurisdiction.
9. Assail to the initiation of enquiry viz a viz competency of the Registrar is founded on submission that the petitioner's appointing authority being Executive Council, it is the said body, who is competent to direct a departmental enquiry, however, the same not being the position here, the enquiry is without jurisdiction.





59

7

power is authorised by express words or necessary implication. There is a strong presumption against construing a grant of legislative, judicial or disciplinary power as impliedly authorising sub-delegation; and the same may be said of any power to the exercise of which the designated body should address its own mind."

20. The counsel for the appellant next submitted that the Executive Council in the instant case had delegated its disciplinary power to the Vice-Chancellor and the Act provides for such delegation. In support of the contention he relied upon the following resolution of the Executive Council:

"Full power be given to the Vice-Chancellor to take a decision on this question and the Vice-Chancellor informed the Executive Council that he will take decision in about a month. On this decision, Shri Gangadhar Pathrikar gave his opinion that the Executive Council should take a decision on the note dated 16-1-1979 submitted by him and other two members and since it was not accepted. He does not agree with the above decision."

21. This resolution, in our opinion, is basically faulty at least for two reasons. It may be recalled that the Executive Council without considering the report of Mr. Chavan, wanted the Vice-Chancellor to take a decision thereon. It may also be noted that the Vice-Chancellor was present at the meeting of the Executive Council when the resolution was passed. He was given "full power to take a decision" which in the context, was obviously on the report of Mr. Chavan, and not on any other matter or question. He said that he would take a decision in about a month. In our opinion, by the power delegated under the resolution, the Vice-Chancellor could either accept or reject the report with intimation to the Executive Council. He could not have taken any other action and indeed, he was not authorised to take any other action.

26. These principles of ratification, apparently do not have any application with regard to exercise of powers conferred under statutory provisions. The statutory authority cannot travel beyond the power conferred and any action without power has no legal validity. It is ab initio void and cannot be ratified."

(Emphasis supplied)

14. Learned counsel for the respondent/University has argued that the petitioner having participated in the enquiry, the competency of the



found guilty may be dealt with. Thus, at this stage, there was no material before the EC to hold the petitioner guilty and, therefore, to direct or authorize the VC to constitute disciplinary proceeding against the petitioner.

13. Since it has been admitted by the University that the EC is competent authority to constitute enquiry and authorize the VC to issue charge sheet in respect of the petitioner and the EC having not directed to constitute any domestic enquiry against the petitioner, the issuance of charge sheet by the Registrar under direction of the VC is without jurisdiction. In reaching to this conclusion, this Court is fortified by the judgment rendered by the Supreme Court in the matter of **The Marathwada University Vs. Seshrao Balwant Rao Chavan**⁵, wherein the following has been held in paragraphs 19, 20, 21, 26 thus:-

"19. Counsel for the appellant argued that the express power of the Vice-Chancellor to regulate the work and conduct of officers of the University implies as well, the power to take disciplinary action against officers. We are unable to agree with this contention. Firstly, the power to regulate the work and conduct of officers cannot include the power to take disciplinary action for their removal. Secondly, the Act confers power to appoint officers on the Executive Council and it generally includes the power to remove. This power is located under S.24(1)(xxix) of the Act. It is, therefore, futile to contend that the Vice-Chancellor can exercise that power which is conferred on the Executive Council. It is a settled principle that when the Act prescribes a particular body to exercise a power, it must be exercised only by that body. It cannot be exercised by others unless it is delegated. The law must also provide for such delegation. Halsbury's Laws of England (Vol.I, 4th Ed., para 32) summarises these principles as follows:

"32. Sub-delegation of powers. In accordance with the maxim delegatus non protest delegare, a statutory power must be exercised only by the body or officer in whom it has been confided, unless sub-delegation of the





61

17. For the foregoing, this Court is of the considered opinion that the petition deserves to be allowed. It is accordingly allowed. However, since this Court has not quashed the enquiry on merits, it will be open for the University to constitute enquiry, if they so desire, in accordance with law.

Sd/-
Prashant Kumar Mishra
Judge

Barve

सत्य-प्रतिलिपि
320514
मुख्य प्रतिलिपिकार
उच्च न्यायालय उज्जैन
विलासपुर

Exp. No. 39 555/14

(1) Application received on	(2) Applicant told to appear on	(3) Applicant appeared on	(4) Application (with or without further or correct particulars) sent to record-room	(5) Application received and record-room with record or without record for further or correct particulars on	(6) Applicant given notice for further or correct particulars on	(7) Applicant given notice for further funds on	(8) Notice in column (6) or (7) compiled with on	(9) Copy ready on	(10) Copy delivered or sent on	(11) Court-fee realised
11/9/14	2/9/14	02/9/14	11/9/14	2/9/14	-	-	-	2/9/14	2/9/14	20

Copyst
2/9/14

Computer
2/9/14

Hand Copy
3205-2014

authority issuing charge sheet or validity of the enquiry cannot be challenged by the petitioner. He has relied on judgments in the matters of State of U.P. and another Vs. Chandrapal Singh and another⁶, Pankajesh Vs. Tulsi Gramin Bank and another⁷, Union of India and another Vs. Kunisetty Satyanarayana⁸, H.V. Nirmala Vs. Karnataka State Financial Corporation and others⁹, M.C. Mittal Vs. State of M.P. and another¹⁰, State Bank of India Vs. M/s Ram Das and Anr¹¹.

15. However, in the case at hand, this Court has already found that there is inherent lack of jurisdiction for issuing the charge sheet, therefore, mere participation in the enquiry would not validate the enquiry when it is otherwise found to be constituted by an authority having no jurisdiction or competency to direct enquiry.

16. In *Kalabharati Advertising Vs. Hemant Vimalnath Narichania and others*¹², it has been held in paragraphs-20 & 21 thus:-

"20. The aforesaid judgments are passed on the application of legal maxim *sublato fundamento, cadit opus*, which means in case a foundation is removed, the superstructure falls.

21. In *Badrinath v. State of T.N.* {(2000) 8 SCC 395} this Court observed that once the basis of a proceeding is gone, all consequential acts, action, orders would fall to the ground automatically and this principle of consequential order which is applicable to judicial and quasi-judicial proceedings is equally applicable to the administrative orders."

6 (2003) 4 SCC 670
 7 AIR 1997 SUPREME COURT 2654
 8 (2006) 12 SCC 28
 9 (2008) 7 SCC 639
 10 2004 (4) MPHT 183
 11 JT 2003 (8) SC 451
 12 (2010) 9 SCC 437



कार्यपरिषद में रखे जाने वाले टीप:-

विषय:- तकनीशियन ग्रेड-3 का वेतनमान संशोधन के संबंध में।

श्री चन्द्रप्रकाश राठौर, तकनीशियन ग्रेड-3 के पद पर वेतनमान 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1900 में नियुक्त किया गया है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत सेटअप में उल्लेखित वेतनमान अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4606/स्था./सा.प्रशा./2016 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश राठौर, तकनीशियन ग्रेड-3 का वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 2400 संशोधन किया गया है। तदनुसार वेतन निर्धारण को उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया है। परन्तु उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा यह टीप अंकित किये है कि कार्यपरिषद से संशोधन की कार्योत्तर स्वीकृति उपरांत भुगतान योग्य है।

अतः श्री चन्द्रप्रकाश राठौर, तकनीशियन ग्रेड-3 का वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 2400 में कार्यालय द्वारा की गयी संशोधन कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अपीलीय निकाय हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क एवं विषय विशेषज्ञों के मानदेय संबंधी प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए पैनल मूल्यांकन पश्चात भी उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर छात्र/छात्राओं से प्राप्त शिकायतों पर निर्णय लिये जाने हेतु गठित अपीलीय निकाय हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु शुल्क तथा अपीलीय निकाय के सदस्यों को प्रति बैठक निम्नानुसार मानदेय एवं टी.ए./डी.ए. प्रदान किया जाना उचित होगा :-

1. छात्र/छात्राओ द्वारा अपीलीय निकाय के समक्ष प्रति उत्तर-पुस्तिका के परीक्षण हेतु राशि रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) शुल्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

औचित्य :- अपीलीय निकाय में जो शिक्षाविद तथा विषय विशेषज्ञ नियुक्त किये जायेंगे वे विश्वविद्यालय से बाहर के भी हो सकते हैं ऐसे में उन्हें टी.ए./डी.ए. का भुगतान भी किया जाना होगा। अतः उचित होगा कि सदस्यों को प्रत्येक बैठक हेतु निर्धारित मानदेय तथा विश्वविद्यालय नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान शुल्क की राशि में किया उचित होगा।

2. बैठक में उपस्थित होने वाले शिक्षाविद तथा विषय विशेषज्ञों को बैठक शुल्क तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

औचित्य:- बैठक में उपस्थित होने वाले शिक्षाविद तथा विषय विशेषज्ञ को प्रति बैठक रुपये 500/- मानदेय तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना उचित होगा।





65

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन-पत्र

अभ्यर्थी आवेदन-पत्र स्वयं भरे एवं भरने के पूर्व नियमों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रति,

कुलपति,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) 492010

प्राचार्य द्वारा
सत्यापित नवीनतम
छायाचित्र

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात आवेदित विषय में से निम्नलिखित प्रश्न-पत्र की उत्तर-पुस्तिका/पुस्तिकाओं के अपीलीय निकाय के समक्ष परीक्षण हेतु अनुमति नियमानुसार प्रदान करें।

1. परीक्षार्थी का नाम	
2. पिता/पति का नाम	
3. घर का पता तथा मोबाईल नम्बर	
4. परीक्षा का नाम	
5. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	
6. परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	
7. परीक्षार्थी का नामांकन क्रमांक/पंजीयन क्रमांक	
8. पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषणा की तिथि	
9. अपीलीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रश्न-पत्र/पत्रों के नाम	1. 2.

10. निर्धारित शुल्क रु. (अक्षरी रूपये).....
विश्वविद्यालय कार्यालय में संलग्न नगद रसीद क्रमांक/बैंक ड्रफ्ट क्र. दिनांक
से जमा किया है।

- (1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय को मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (2) यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उत्तर-पुस्तिका की छायाप्रति का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

- संलग्न:- (i) प्रवेश पत्र की छाया प्रति।
(ii) पुनर्मूल्यांकन तथा पुनःपुनर्मूल्यांकन रसीद की छाया प्रति।
(iii) रसीद क्रमांक / बैंक ड्राफ्ट।
(iv) उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति।

दिनांक

.....
आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन-पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन आवेदन करें।
2. पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) परिणाम निर्गमन तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु शुल्क रूपये प्रति प्रश्न-पत्र जमाकर उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के कैश काउंटर में सीधे नगद जमा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में देय होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. छात्र अपना आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र इस पते पर भेजे -
प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर भी यह नियम लागू होगा।

लिफाफे पर मोटे अक्षरों में " पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन " अवश्य अंकित करें।

5. आवेदन-पत्र सोच समझकर सही-सही भरा जावे। आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यार्थी केवल अपनी ही उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है।
6. अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु 'आवेदन-पत्र' निःशुल्क है। परीक्षार्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप संबंधित/अधिकृत महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय पूछताछ विभाग (स्वागत कक्ष) या विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित स्थानों अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन-पत्र की टंकित प्रति भी मान्य होगी।
7. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करेंगे:-
(i) प्रवेश-पत्र की छाया प्रति।
(ii) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छाया प्रति।
(iii) पुनःपुनर्मूल्यांकन (पैनल मूल्यांकन) रसीद की छाया प्रति।
(iv) उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति।
8. आवेदक का आवेदन-पत्र प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होना आवश्यक है। आवेदक को परिणाम की जानकारी संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in के माध्यम से स्वतः लेनी होगी।
9. आवेदक अधिकतम दो प्रश्न-पत्र के परीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है। दोनो प्रश्न-पत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन में दो प्रश्न-पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
10. छात्र द्वारा दर्ज आपत्ति का विवरण अनिवार्यतः भरा जावे अन्यथा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. अपीलीय निकाय द्वारा परीक्षणोंपरांत पारित निर्णय अंतिम होगा।

68

अपीलीय निकाय का प्रतिवेदन

क.	कक्षा	अनुक्रमांक	विषय	प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र में मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदत्त मूल / अंतिम अंक	अपीलीय निकाय द्वारा छात्र के आपत्ति / रिमार्क के संबंध में अभिमत एवं अंक

for

विषय:- विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने हेतु।

संदर्भ:- मान. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.08.17 के बिंदु क्रमांक - 09 लिये गये निर्णय।

उपरोक्त विषयांतर्गत मान. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.08.17 के बिंदु क्रमांक - 09 पर लिये गये निर्णय " विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा - 2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गयी अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार करते हुए संलग्न अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं 03 सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। " मान. कार्यपरिषद द्वारा गठित 03 सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रकरण पर विवेचना कर सौंपे गये प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए विचार किये जाने हेतु प्रकरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

70

गोपनीय एवं परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव :-

09 विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा-2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा-2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार करते हुए संलग्न अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं निम्नलिखित 3 सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया -

- (1) श्री एस.आई. शाह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
- (2) प्रो. आर.जी. भावे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़
- (3) श्री ललित सुरजन, सदस्य कार्यपरिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

10. टाकेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक शिक्षक पंचायत के आवेदन पत्र- B.Com. (Part I,II,III) वर्ष एवं एम.काम. (पूर्व एवं अंतिम) वर्ष की अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : टाकेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक शिक्षक पंचायत के आवेदन पत्र- B.Com. (Part I,II,III) वर्ष एवं एम.काम. (पूर्व एवं अंतिम) वर्ष की अंकसूची के समर्पण का कारण ज्ञात करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रशासन से संबंधित प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दिये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अतिरिक्त भुगतान संबंधी आदेशों को निरस्त करने बाबत।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दिये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अतिरिक्त भुगतान संबंधी आदेशों का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

12. विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भाँति संचालन हेतु प्रस्तुत न्यास विलेख में विधिक अभिमत के पश्चात् अनुशंसा के संबंध में विचार करने बाबत।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भाँति संचालन हेतु प्रस्तुत न्यास विलेख में विधिक अभिमत के पश्चात् अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

13. डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : अर्थशास्त्र अध्ययन शाला के प्राध्यापक डॉ. रोहिणी प्रसाद को सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि 11.07.2017 से पाँच वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रति,

कुलसचिव (परीक्षा विभाग) (71)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

22/10/2017
RSC
30-10-17

विषय:- डिग्री निरस्त करने विषयक ।

महोदय!

आपसे सलम निवेदन है, कि मैंने आपके पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बी. ए. की डिग्री सन् 2008 तथा एम. ए. "समाजशास्त्र" की डिग्री सन् 2012 में अमराविकावलीन विद्यापीठ के रूप में उत्तीर्ण की है।
पूँछि मैं कुशा- बरहवीं में गणित संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ।
और मैं बी. एस. सी (गणित) की डिग्री लेना चाहता हूँ। उक्त डिग्री (Bsc - maths) मैं बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से लेना चाहता हूँ।

अतः महाशय से निवेदन है, कि मेरा बी. ए. और एम. ए.

"समाजशास्त्र" की डिग्रियाँ निरस्त करने की महान् कृपा करेंगे।

दिनांक 30/10/2017

धन्यवाद!

संलग्न:-

- ① बी. ए. प्रथमवर्ष मूलअंकसूची ।
- ② बी. ए. द्वितीयवर्ष मूलअंकसूची ।
- ③ बी. ए. तृतीयवर्ष (स्नातक) मूलअंकसूची । (बी. ए. अंतिमवर्ष 2008 मूलअंकसूची)
- ④ बी. ए. स्नातक उपाधि प्रमाणपत्र मूलप्रति ।
- ⑤ एम. ए. 'समाजशास्त्र' पूर्व मूलअंकसूची ।
- ⑥ एम. ए. 'समाजशास्त्र' अंतिम मूलअंकसूची 2012 ।

प्राधी
कमलेश कुमार साहू
वाडि क्रमांक- 14, स्वामी
विवेकानंद वाडि
नगरपंचायत - मगरलोड.
जि० - धमतरी (छ०ग०)
पिनकोड - 493662

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2017

विषय क्रं. :- विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25 वी. बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक-8, उपाधि वितरण की कार्ययोजना" के संबंध में।

कार्यालयीन टीप :- (अ) छ0ग0 शासन, उच्चशिक्षा मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 18.2/2013/38.2 नयारायपुर, दिनांक 07.12.2017 संलग्न कृपया अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। शासन द्वारा उपाधि वितरण की प्रस्तावित कार्य योजना" को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है, निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई को अवगत कराया जाना है।
(एनक्सर क्र.1)

राज्यशासन के उपरोक्त निर्देश के परिपालन में निम्न तथ्य प्रस्तुत है :-

1. वर्ष 2001 से 2017 तक पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से उपाधि हेतु पात्र विद्यार्थियों की कुल 6,86,779 है, जिसमें से 2,46,210 विद्यार्थियों द्वारा उपाधि शुल्क के साथ आवेदन करने पर उन्हें उपाधि प्रदान किया गया है, शेष 4,40,569 विद्यार्थियों को उपाधि वितरित किया जाना शेष है।

2. उपरोक्त विद्यार्थियों को 6 माह के भीतर संबंधित छात्र को उनके निवास के पते पर भेजना सुनिश्चित करने निर्देश है "विद्यार्थियों से उपाधि आवेदन प्राप्त करने या उनसे उपाधि शुल्क जमा कराये जाने के संबंध में निर्देश अंकित नहीं है।

3. शासन के निर्देश के पालन में यदि विद्यार्थियों से बगैर उपाधि शुल्क प्राप्ति उपाधि प्रदान किया जाता है, तो कुल वितरित किये जाने वाले उपाधियों 4,40,569, प्रति उपाधि की प्रचलित शुल्क रू० 300/- की दर से कुलराशि रू० 13,21,70,700/- (रू० तेरह करोड़, इक्कीस लाख, सत्तर हजार, सात सौ/-) की प्राप्ति विश्वविद्यालय को नहीं होगा।

4. शासन के निर्देशानुसार यदि विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से उपाधियाँ, मुद्रित करवा कर प्रेषण करता है तो निम्नानुसार व्यय अनुमानित है :-

(A) पंजीकृत डाक प्रेषण व्यय	4,40,569 / @ 40 / -रू.	रू. 1,76,22,760 /.
(B) उपाधि मुद्रण	4,40,569 / @ 30 / -रू.	रू. 1,32,17,070 /.
(C) उपाधि मुद्रक को एक्सल डाटा तैयार कर प्रदान करने	4,40,569 / @ 05 / -रू.	रू. 22,02,845 /.
(D) विज्ञापन एवं अन्य व्यय		रू. 05,00,000 /.

कुल

रु. 3,35,42,675 / .

5. उपरोक्त के प्रकाश्य में कंडिका क्र. 5 अनुसार कुल राशि रू0 3,35,42,675 / . (रू0 तीन करोड़,पैतीस लाख, बयालिस हजार, छै: सौ पचहत्तर मात्र) का अनुदान स्वीकृति हेतु राज्यशासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने आदेशार्थ प्रस्तुत है।
6. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में परीक्षा आवेदन के साथ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से उपाधि आवेदन पत्र, उपाधि शुल्क सहित प्राप्त करने आदेशार्थ प्रस्तुत है।
7. विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर (Academic Calender) में उपाधियों के वितरण हेतु निर्धारित तिथि का समावेश कराने आदेशार्थ प्रस्तुत है।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नया रायपुर

.....00.....

क्रमांक एफ 18-2/2013/38-2

नया रायपुर, दिनांक 11/12/2017

प्रति.

समस्त कुलसचिव

समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय,

जिला.....रायपुर (छ.ग.)

छ.ग.।

विषय:-

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में लिये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक -7 "उपाधि वितरण की कार्ययोजना" के संबंध में।।

.....00.....

विषयांतर्गत विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में प्रस्ताव क्रमांक-8 "उपाधि वितरण की कार्ययोजना" पर लिये गये निर्णय के परिपालन में समिति द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित करते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

उफदि
18/12/17

3531/सं.परा
19-12-17

7/12/17

(नलिनी माथुर)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 18-2/2013/38-2 नया रायपुर, दिनांक / /2017

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राजभवन सचिवालय, के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

OSD (Deputy)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Put up in the notesheet

Handwritten signature

उपाधि वितरण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवाही वितरण

उपाधि वितरण हेतु गठित समिति की 25 वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 का आयोजित कार्यक्रम समन्वय समिति के प्रस्ताव क्रमांक- 8 "उपाधि वितरण के संबंध में समन्वय समिति की कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी" के संबंध में समन्वय समिति में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रथम बैठक दिनांक 19.07.2017 को एवं द्वितीय बैठक दिनांक 19.08.2017 को आयोजित की गई।

बैठक का कार्यवाही वितरण निम्नानुसार है :-

उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन 13 राजकीय एवं 8 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं, जिनमें 01/04/2017 की स्थिति में राजकीय विश्वविद्यालयों में वितरण हेतु शेष उपाधियों की संख्या 72997 एवं निजी विश्वविद्यालयों में वितरण हेतु शेष उपाधियों की संख्या 7299 है।

बैठक में उपाधि वितरण हेतु कार्य योजना निम्नानुसार है :-

उपाधि वितरण हेतु राज्य निर्माण की तिथि से अब तक अवितरित उपाधि हेतु :-

1. नियमित विद्यार्थियों हेतु :-

1. सभी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना के पश्चात् 2001 से 2017 तक अर्जित उपाधियों को 6 माह के भीतर संबंधित छात्र को उनके निवास के पते पर डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित छात्र के निवास का पता गलत होने की स्थिति में डाक से वापस लौट कर आने पर उचित उपाधि को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास भेजें। इस आशय की सूचना संबंधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के वेबसाइट, सूचना फलक एवं राजकीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया किया जाये।
3. इस प्रक्रिया के मातहत के पश्चात् अवितरित उपाधि 10 वर्ष से अधिक अवधि की होने पर संबंधित विषयों की उपाधि को महाविद्यालय द्वारा गठित अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखित कर दी जाये। परन्तु गिररी छात्र को 10 वर्ष के पहले की उपाधि ही आवश्यकता तो वह संबंधित विषय की उपाधि को विश्वविद्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

2. स्वाध्यायी छात्रों के लिये :-

राज्य गठन से अब तक स्वाध्यायी छात्रों के अभिलेख (टी.आर) टेब्लेशन-रजिस्टर के अलावा अन्य अभिलेख जैसे - परीक्षा आवेदन-पत्र आदि विश्वविद्यालय के निगमनानुसार नष्ट किये जा चुके हैं। अतः इनके उपाधि वितरण हेतु उनके शैक्षणिक दस्तावेज एवं निवास का पता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाए तथा उनके निगमनानुसार उपाधि घोषित की जाये। इस कार्य को अनिवार्यतः छे माह में पूर्ण किया जाये।

76

2017-18 से नवीन सपाधि वितरण हेतु कार्य योजना :-

1. विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेंडर(Academic Calender) में, अकादमिक सत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन, प्रवेश की अंतिम तिथि, परीक्षा आयोजन परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही सपाधियों के वितरण हेतु एक विचारित तिथि का समावेश अकादमिक कैलेंडर में किया जाये ।
2. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सपाधियों का वितरण, विश्वविद्यालय क अधिनियम के अन्तर्गत दीक्षात समारोह(Convocation) के माध्यम से प्रदान किये जाये ।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2008 "University Grant Commission Regulation,2008 ; Grant of degree and other awards by the Universities" अनुसूचि मात्र विद्यार्थियों को 300 दिवस के भीतर सपाधि का वितरण किया जाना चाहिए ।
4. विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क के साथ सपाधि वितरण हेतु शुल्क जमा करना चाहिए। ऑन लाइन सपाधि वितरण (Online Degree Distribution) का प्रावधान भी विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से हित में विकसित करना एवं अपनाया जाना चाहिए।
5. सपाधि वितरण हेतु प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ में प्रेस-विज्ञप्ति का प्रकाशन एवं वेबसाईट पे सूचना अपलोड किया जाना चाहिए।
6. दीक्षात समारोह आयोजित होने के पश्चात् 90 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय, अकादमिकलय द्वारा सपाधि वितरण हेतु कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को सपाधि का वितरण किया जाये । यह कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रमों के दौरान वितरित किया जाये ।
7. विश्वविद्यालय सपाधि वितरण हेतु उपरोक्तानुसार, अपने परिचियम में संशोधन व प्रस्ताव आयायी समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत करें ।

डॉ. बसुदेवराजु एरा
आयुक्त
राज्य शिक्षा संचालनालय

जनमेजय महर्षि
संयुक्त सचिव
राज्य अर्थ, रायपुर

धर्मेश साहू
कुल सचिव
प. रवि मि. मि. रायपुर

डी.एन. सि
कुल सचिव
छ. य. स्वामी मि.
रायपुर



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

77

50

क. 879 / परीक्षा / महावि. / सेमेस्टर / 2017

रायपुर, दिनांक 13/10/2017

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2017-18 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

केंद्र / महा.कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		118	विप्र कला-वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., वि.वि. के पीछे, रायपुर
107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती रायपुर	107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा पुरानी बस्ती, रायपुर
		117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर
		103	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
		113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा0 धरसीवा रायपुर
		115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर
		123	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर
		129	आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर
		119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर
		104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर
		120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	122	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर
		124	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
164	सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर
		116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर
168	शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग	164	सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)
		166	संचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा)
168	शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग	168	शास. बद्रिप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग
169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अभनपुर	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर
201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार
		202	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार
		206	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी
203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा
205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा	205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा
209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़
		208	शास. राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव
210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल	210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल
		207	शास. महाविद्यालय लवन
251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम
		175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)
255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा, गरियाबंद	255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद
		253	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)
301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातको. महा., महासमुन्द	301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द
306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महा0 बागबाहरा	306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा
307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा	307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा
309	शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली	309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली
		310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली

351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव पी0जी0 कालेज, धमतरी	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव पी0जी0 कालेज, धमतरी
361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)	361	शास. सुखराम नागे महा. सिहावा (नगरी)
		367	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी
365	संत गुरु घासीदास शासकीय पी0जी0 कालेज, कुरुद	365	संत गुरु घासीदास शासकीय पी0जी0 कालेज, कुरुद
		362	नवीन शासकीय महाविद्यालय भखार
		366	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड


दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए प्रथम/तृतीय सेमे.-एटीकेटी, मूठपूर्व तथा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र सूची :-

402	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग	402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा0, दुर्ग
		403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
		404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग
		426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई
		428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई
		433	एलायस इंस्टी.ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट भिलाई
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
		435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती कालेज, हुडको, भिलाई
		438	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा संस्थान, भिलाई
441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर		
461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	430	साई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई
		448	एम.जे.कॉलेज ऑफ इंफर्मे.टेक्ना.,कोहका जुनवानी रोड, भिलाई
		450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्ना.,कोहका-कुरुद रोड, भिलाई
		457	इंदिरा गॉंधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर
		461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3
		463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई
		464	शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन
		468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा
		501	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा
		504	शासकीय महाविद्यालय, थानखमहरिया जिला - दुर्ग
505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़		
502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा		
551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद
		552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
		554	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही
		556	शास0 एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा जि0 -बालोद
		557	संत राजाराम सदाणी नागरिक महा., डौंडीलोहारा
		562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा
564	नवीन शासकीय महाविद्यालय, खेरथा, जिला-बालोद		
601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा0 कवर्धा	601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा
		605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई
		606	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा
		607	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोडला
		611	इंदिरा गॉंधी शास0 महाविद्यालय, पंडरिया (छ0ग0)

657	शासकीय कमलादेवी महिला महा., राजनांदगाँव	657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव
		665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी
		666	शासकीय वीरांगना अवंतिबाई महा., छुईखदान
		668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव
		669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़
		672	शास. कुंजबिहारी चौबे महा., लालबहादुर नगर
		670	शासकीय रानी अवंति बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका
		671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़
		673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर

- टीप :- 1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
2. संबंधित परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे।

आदेशानुसार



कुलसचिव
रायपुर, दिनांक 13/10/2017

पृ.क 879A/परीक्षा/महावि./सेमेस्टर/2017

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस जानकारी के साथ कि दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में हुए समझौते के अनुसार उनके विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र के लिए उक्त परीक्षाओं के लिए ही केन्द्र सूची जारी की गई है। तदनुसार शेष परीक्षाएं आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी।
2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ।
3. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल प्रथम एवं तृतीय सेमे. एटीकेटी, भूतपूर्व एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमे0 केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं के लिए ही परीक्षार्थियों से भरे हुये परीक्षा आवेदन पत्र सशुल्क स्वीकार करते हुये परीक्षा आयोजित करावें।
4. उ.कू.स., गोपनीय/अकादमी/विकास/वि.क.अ.नामांकन/प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा),
5. वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
6. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर-विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. संपादक समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सबेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



रायपुर, दिनांक 13/10/2017

क. 880 / परीक्षा / महावि. / सेमेस्टर / 2017

सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2017-18 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. सेमेस्टर परीक्षा - बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम 2017-18 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची-

केन्द्र/महा.कोड.	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा.कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	102	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		118	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर
		124	दिशा महाविद्यालय रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
		126	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कोटा, रायपुर
		137	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुन्दरनगर, रायपुर
		189	अकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेन्डीकेप्ड, रायपुर
105	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर	151	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
		152	कालिन्दी महाविद्यालय, स्वाति एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर
		187	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डूमरतालाब कांगेरवैली, रायपुर
195	आदर्श महाविद्यालय, मुर्दा रोड, दतरंगा, रायपुर		
111	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	111	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
112	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	119	प्रगति महाविद्यालय, रायपुर
		131	सेंट विसेंट पैलोटी, महावि., कॉपा, रायपुर
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महा., गाँधी चौक, रायपुर	181	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम नरदहा आरंग जि.रायपुर
		179	श्रीराम कॉलेज ग्राम सारागाँव जिला रायपुर
119	प्रगति महाविद्यालय, रायपुर	188	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन ग्राम नरदहा, रायपुर
		112	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
		120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर
121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महावि., शंकरनगर, रायपुर	156	के.डी.रुगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी अटारी, रायपुर
		161	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, विधानसभा चंदखुरी मार्ग रायपुर
127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, रायपुर	177	सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम तुलसी जिला रायपुर
		186	कोलम्बिया कॉलेज, टेकारी, रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महावि., शंकरनगर, रायपुर
169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	134	महात्मा गाँधी महाविद्यालय, रायपुर
		176	दिशा कालेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, रामनगर कोटा रोड रायपुर
		170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर
		171	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर
170	नेता जी सुभाष महाविद्यालय बेलभाठा, रायपुर	178	सी.आई.टी. बी.एड कॉलेज ग्राम भेलवाडीह जिला रायपुर
		191	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर
		173	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर
		180	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन ग्राम धुसेरा अभनपुर जि. रायपुर
203	शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	185	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, माना केम्प, रायपुर
		192	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन धनेली, माना, रायपुर
		204	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जि.बलौदाबाजार -भाटापारा

केंद्र / महा कोड	परीक्षा केंद्र का नाम	महा. कोड	केंद्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)
255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	256	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेस, गरियाबंद
		257	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, केशोडर रोड, गरियाबंद
301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद	261	श्री वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महा. ग्राम जामगाँव, जिला गरियाबंद
		303	शांतीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद
		304	जयहिन्द महाविद्यालय महासमुंद
		313	श्याम बालाजी कॉलेज महासमुंद
		305	इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, रायपुर रोड, बेलसोंडा, महसमुंद
		310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली
309	शास. स्व.श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	311	प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली
		315	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ग्राम-जंगोरा, पो.आ.-पिथौरा

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए प्रथम/तृतीय सेमे.-एटीकेटी, भूतपूर्व एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमे० केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा केंद्र सूची :-

428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई	406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग
		410	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महा., गौरवपथ, उत्तई रोड, दुर्ग
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
		403	जी.एस. आर्य कन्या महावि., स्टेशन रोड, दुर्ग
		412	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ इंफर्मेसन टेक्नालॉजी, पुलगाँव, दुर्ग
		416	अपोलो महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग
		462	शैलदेवी महाविद्यालय अण्डा जिला दुर्ग
		435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, भिलाई
		440	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई
		475	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, मेन रोड उत्तई, दुर्ग
		429	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, से.-6, भिलाई
		441	सेन्ट थॉमस महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई
		454	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुरुद, भिलाई
		459	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महावि., अहेरी, नंदनी रोड जिला-दुर्ग
		441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर
411	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कॉलोनी, दुर्ग		
428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई		
431	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, ग्राम खपरी जिला-दुर्ग		
442	आर्यवर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई		
448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मेसन टेक्नालॉजी, कोहका, भिलाई		
413	बी.एम.कॉलेज ग्राम कोलिहापुरी जिला-दुर्ग		
420	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग		
426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई		
439	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई		
446	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, भिलाई		
449	भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेसन टेक्नालॉजी, भिलाई		
451	रूंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी भिलाई कोहका रोड, कुरुद भिलाई जिला दुर्ग		
460	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई		
414	डी.ए.व्ही. माडल कालेज धमधा रोड जिला -दुर्ग		
456	उदय महाविद्यालय, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई		
469	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च ग्राम चंद्रखुरी जिला दुर्ग		

केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
461	शास.महाविद्यालय भिलाई -3	450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका कुरुद रोड, भिलाई
		470	सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, दुर्ग
		471	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी जिला -दुर्ग
		472	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी जिला -दुर्ग
		477	श्री साई कालेज, देउरझाल, नंदनी, जि० दुर्ग
		506	समाधान कालेज सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति ग्राम-फरी पोस्ट बीजभाटा जिला बेमेतरा
655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	653	कांफ्लुरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, राजनांदगाँव
		658	श्रीराम शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगाँव
		659	रॉयल कॉलेज, लालबाग, राजनांदगाँव
		661	सोमनी महा. सोमनी, जिला-राजनांदगाँव


2. सेमेस्टर परीक्षा - बीपी.एड. पाठ्यक्रम 2017-18 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		118	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर
169	शास० काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर
		193	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर
365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए प्रथम/तृतीय सेमे.-एटीकेटी, भूतपूर्व एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमे० केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र सूची :-			
461	शास.महाविद्यालय भिलाई -3	404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		454	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मनसा आई.टी.सी., कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, दुर्ग

टीप :-1. परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष होंगे।

- उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय कोड का उल्लेख करेंगे।
- आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व उसकी सम्यक जाँच कर लेवें। तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन अग्रेषित करें, क्योंकि इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महा०/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष की होगी।
- कृपया ध्यान देवे कि जिन महाविद्यालयों को बी.एड/एम.एड/बी.पी.एड. परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है, वे केन्द्र निर्धारण शुल्क राशि रूपये 10,000/- विश्वविद्यालय कोष में अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि तक यथाशीघ्र जमा करावें। इस हेतु पत्र प्रेषित की जावेंगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ.क्र. 880^A/सेमेस्टर परीक्षा/बीएड,एमएड,बीपीएड./केन्द्र 2017

रायपुर दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस जानकारी के साथ कि दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में हुए समझौते के अनुसार उनके विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र के लिए प्रथम एवं तृतीय सेमे. एटीकेटी, भूतपूर्व एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमे0 केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं के लिए ही केन्द्र सूची जारी की गई है। तदनुसार शेष परीक्षाएं आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी।
2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा संस्थान परं.शु. वि.वि.रायपुर/शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला/ प्राचार्य संबंधित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ।
3. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल प्रथम एवं तृतीय सेमे. एटीकेटी, भूतपूर्व एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमे0 केवल (एटीकेटी) परीक्षाओं के लिए ही परीक्षार्थियों से भरे हुये परीक्षा आवेदन पत्र सशुल्क स्वीकार करते हुये परीक्षा आयोजित करावें।
4. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/ विकास/वित्त नियंत्रक/ समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/वि.क.अ. नामांकन/वि0वि0 मुद्रनालय।
6. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर अध्य.शाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हेतु अग्रेषित।
8. सम्पादक, समस्त स्थानीय समाचार-पत्र, रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सवेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

FA College Sem. Dec.-Cec.List 17/p- 4-7

Biswan
वि.क.अ. (परीक्षा)

र.शु.



क्र. 1279 / परीक्षा / महावि. / सेमे0 / संशो परीक्षा केन्द्र / 2017

रायपुर, दिनांक 07 / 12 / 2017


// संशोधित अधिसूचना //

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2017-18 के लिए परीक्षा केन्द्र एवं आसंजित महा0 की संशोधित सूची

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. 879 / परीक्षा / महावि. / सेमेस्टर / 2017 रायपुर दिनांक 13.10.2017 सेमेस्टर परीक्षा के लिए सत्र 2017-18 के लिए प्रेषित परीक्षा केन्द्रों की सूची के अनुक्रम में महाविद्यालय कोड-259- शास. पं. श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इस महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अकादमिक विभाग द्वारा सम्बद्धता निरीक्षण का प्रतिवेदन वि.वि. कार्य परिषद दिनांक 22.12.2017 की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। अतएव अकादमिक विभाग द्वारा सम्बद्धता दिये जाने की प्रत्याशा में उक्त महाविद्यालय को सेमेस्टर परीक्षा की केन्द्र सूची में जोड़ते हुए निम्नानुसार सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र घोषित किया जाता है:-

केन्द्र / महा. कोड	संशोधित सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित आसंजित महाविद्यालय का नाम
259	शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग	259	शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग (प्रथम सेमेस्टर एम.एस.सी. प्राणी विज्ञान-22 छात्र, एम.ए.हिन्दी- 15 छात्र)

- टीप:- 1. उपरोक्तानुसार प्राचार्य शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अपने महाविद्यालय के संबंधित कक्षाओं के परीक्षार्थियों को यथासमय परीक्षा में अपने केन्द्र में शामिल करावें। तथा इस परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य परीक्षा के केन्द्राध्यक्ष रहेंगे।
- 2 शेष यथावत रहेंगे।



कुलसचिव

पृ. क्र. 1280 / परीक्षा / महावि. / सेमे0 / संशो परीक्षा केन्द्र / 2017

रायपुर, दिनांक 07 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष, शास. पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग जिला-गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. उपकुलसचिव अकादमी को इस निवेदन के साथ कि वे उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश यथाशीघ्र परीक्षा विभाग को उपलब्ध करावेंगे।
3. उपकुलसचिव विकास / संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा) / वि.क.अ. गोपनीय।
4. वित्त नियंत्रक / संचालक, महा0 विकास परिषद / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / प्रभारी वि0वि0 मुद्राणालय वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
5. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C.) रायपुर को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे सेमेस्टर की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार संशोधन कर वि. वि. को सूचित करें।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि0क0अ0(परीक्षा)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

85

50

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 1338 / परीक्षा / वार्षिक / केन्द्र / 2017

रायपुर, दिनांक 19 / 12 / 2017

// मुख्य परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची //

केंद्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला - रायपुर			
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर		
103	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर	195	आदर्श कालेज, दतरेंगा जि. रायपुर
		199	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ. सेजबहार
104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर		
105	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर	197	शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर
		198	कोपलवाणी श्रवण बाधित आवासीय महाविद्यालय, रायपुर
106	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर		
107	डॉ. राधा बाई शास. नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर		
108	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर		
109	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर	160	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा., खरोरा
		196	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-मुडपार, पोस्ट खरोरा, जि.रायपुर
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर		
113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर		
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	162	अभ्युदय महा., चंदखुरी फार्म, रायपुर
116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर		
117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर		
118	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर		
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर		
120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर		
121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर		
122	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	123	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर
124	दिशा महाविद्यालय, रामनगर, रायपुर	125	पं. रामसखा उपाध्याय महा., रायपुर
		153	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर
127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर		
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर		
129	आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर		
130	केन्द्रीय-जेल, रायपुर (उप केन्द्र)		
131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर	150	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर

परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर (एवं स्नातक स्तर के बी0ए0 तथा बी0कॉम0 के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए)		
158 शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	159	ऊँ श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसीवा)
161 दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर (एवं स्नातक स्तर के बी0ए0 तथा बी0कॉम0 के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए)		
163 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मॉडर (केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए)		
164 सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	165	आर.के.एस. महाविद्यालय, नेवरा-तिल्दा
166 सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ (तिल्दा)		
167 विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज		
168 शास. बट्टीप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग	183	आर.आई.टी.ई.ई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर
169 शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	171	ग्रेसियस कालेज ऑफ एजुकेशन बेलभाठा अभनपुर जि. रायपुर
	194	सी.आई.टी. साईंस एंड कामर्स कालेज ग्राम भेलवाडीह अभनपुर जि. रायपुर
170 नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर		
174 शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा		
175 सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)		
जिला- बलौदाबाजार -भाटापारा		
201 शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार		
202 शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार		
203 शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	204	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जिला-रायपुर
205 राजीव गाँधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा		
206 शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी		
207 शासकीय महाविद्यालय, लवन		
208 शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगॉव	212	दुलीचंद जालान कॉलेज, कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलई, पॉली, सरसीवा जिला-बलौदाबाजार
209 शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़		
210 शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल		
जिला- गरियाबंद		
251 शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम		
252 आर्यभट्ट कला-विज्ञान महा., कोपरा		
253 शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	254	कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) (उपकेन्द्र)
255 शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	256	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद
	257	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गरियाबंद
259 शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग	260	उदंती महाविद्यालय, देवभोग
262 शासकीय महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद		
263 नवीन शास. महा. मैनपुर, गरियाबंद	258	श्री पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर

महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला - महासमुन्द			
301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द	304	जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुन्द
302	शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द		
303	शांतीबाई कला-वाणिज्य महा., महासमुन्द		
306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा		
307	चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महा., पिथौरा		
308	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना		
309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	314	प्रतिभा फूलझर कालेज, ग्राम बालसी, सराईपाली
310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली		
312	शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला महासमुन्द		
जिला - धमतरी			
351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	353	जिनेसिस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, धमतरी
		354	वन्देमातरम् महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी
		355	काम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी
		356	प्रज्ञा कला/वाणिज्य महा., रत्नाबांधा, धमतरी
352	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी		
361	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी (सिहावा)	367	अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी
362	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी	363	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा
364	कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)		
365	संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरुद		
368	शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	366	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के ऐसे परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा 2016 एवं 2017 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की परीक्षा में शामिल हुये हैं, उनमें से स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के सभी अनुत्तीर्ण एवं पूरक की अर्हता प्राप्त परीक्षार्थी एवं स्नातकोत्तर स्तर के अंतिम वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए (अंतिम अवसर के रूप में) परीक्षा केन्द्र सूची :-			
जिला - दुर्ग			
401	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जी.ई. रोड, दुर्ग	402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग
		403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
		404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग
		412	भारती कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगाँव नाका, दुर्ग
		413	बी.एम. कॉलेज, कोलिहापुर, पुलगाँव, दुर्ग
		423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर
		426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई
		425	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड बिजनेशन महा., भिलाई
		428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाईनगर

/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
401	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जी.ई. रोड, दुर्ग	429	छत्तीसगढ़ वाणि.-विज्ञान महा., से.-6, भिलाई
		430	साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई
		431	देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम खपरी, जिला दुर्ग
		433	एलायस इंस्टी. ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
		435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई
		440	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला-वाणि.महा., रिसाली, भिलाई
		441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर
		445	अतरसिंह महा., मॉडल टाउन, भिलाई
		446	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई
		462	शैलदेवी महाविद्यालय अण्डा, दुर्ग
		468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, धमधा
		474	नवीन शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग
461	डॉ. खुबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3	448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई
		449	भिलाई कॉलेज ऑफ इंफॉर्म. टेक्ना., भिलाई
		450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई
		453	बेलीराम महावि., पुरानीबस्ती, कोहका, भिलाई
		456	उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल के पास, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई
		457	इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर
		458	नागरिक कल्याण महा., नंदिनीनगर
		463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई
		464	शासकीय चन्दू लाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन
		465	शासकीय महाविद्यालय, जामगाँव (आर.)
		466	कर्माता कला-वाणिज्य, विज्ञान महा., जामगाँव (आर)
		467	आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स, अहिवारा, दुर्ग
		476	शास. नवीन महा. खुर्सीपार भिलाई, जि.दुर्ग
478	शास. आदर्श महाविद्यालय, दुर्ग		

केंद्र/महा कोड	परीक्षा केंद्र का नाम	महा. कोड	केंद्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला- बेमेतरा			
501	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा. बेमेतरा	502	पं. देवीप्रसाद चौबे शास. महा., साजा
		503	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, दुर्ग
		504	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग
		505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़
		506	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण समिति ग्राम-फरी, बीजभाटा जिला बेमेतरा
		507	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा
जिला-बालोद			
551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
		553	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला
		554	शासकीय शहीद कौशल यादव महा., गुण्डरदेही
		555	माता कर्मा कला-वाणिज्य महा., गुण्डरदेही
		556	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डोंडीलोहारा
		557	संत राजाराम सदाणी नागरिक महा., डोंडीलोहारा
		558	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर
		559	माँ बहादुर कलारिन कला-विज्ञान महा., गुरुर
		560	विंध्यवासिनी महा.,सनोद-बोहरा,जि.बालोद
		561	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डोंडी
		562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा
		563	भोरमदेव महाविद्यालय ग्राम पैरी, गुण्डरदेही,जिला-बालोद
		564	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा
		565	नवीन शास.महा.,मंगचुवा,बालोद
566	नवीन शास. महा., बेलौंदी, जिला बालोद		
जिला - कबीरधाम			
601	आचार्य, पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. स्नातकोत्तर महा. कवर्धा	602	शास. राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महा., कवर्धा
		603	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ इंफर्मे. टेक्ना.कवर्धा
		604	यूनिक एजु. सोसाइटी, मस्जिद काम्प्लेक्स, कवर्धा
		605	स्व. श्री देवी प्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई, जिला- राजनांदगांव
		606	शास. गजानन माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा
		607	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला
		608	शासकीय नवीन महा., पाण्डातराई
		609	नवीन शास. महा. पिपरिया, कबीरधाम
		610	रामानुज कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पंडरिया, कबीरधाम
		611	इंदिरा गॉंधी शास. महाविद्यालय, पंडरिया,जि0 कबीरधाम


जिला - राजनांदगाँव

केंद्र/महा कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
651	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	653	कान्फ्लुयेन्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, राजनांदगाँव
		654	एलीगेंट महा., भरकापारा, राजनांदगाँव
		655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव
		657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव
		661	सोमनी महा. सोमनी, जिला-राजनांदगाँव
		665	शासकीय लालचकधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी
		666	वीरांगना अवंतिबाई शासकीय महा., छुईखदान
		667	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महा., छुरिया
		668	शासकीय डॉ. बाला साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगाँव
		669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़
		670	शासकीय रानी अवंतिबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका
		671	रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महा., खैरागढ़
		672	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर
		673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर
		674	शास. महा., रामटोला
		675	शासकीय महाविद्यालय, मोहला
676	नवीन शास. महा., साल्हेवारा, राजनांदगाँव		
677	रायल कॉलेज, डोंगरगढ़, राजनांदगाँव		
678	सी.आई.टी. कालेज परीनाला, जी.ई. रोड राजनांदगाँव		
679	शास. आदर्श महाविद्यालय, राजनांदगाँव		

टीप :-

1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष रहेंगे।
2. परीक्षार्थी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय कोड का उल्लेख करेंगे।
3. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
4. आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी अथवा परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व उसकी सम्यक जाँच कर लेवें। तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन अग्रेषित करें, क्योंकि इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महा0/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष की होगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

Con..7

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस जानकारी के साथ कि दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में हुए समझौते के अनुसार उनके विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र के लिए उक्त परीक्षाओं के लिए ही केन्द्र सूची जारी की गई है। तदनुसार शेष परीक्षाएं आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी।
2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को सूचनार्थ।
3. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल उपरोक्तानुसार ही यथासमय संबंधित परीक्षार्थियों के ऑनलाईन द्वारा भरे हुये परीक्षा आवेदन पत्र की हार्डकापी संलग्नगकों सहित स्वीकार करते हुये यथासमय परीक्षा आयोजित करावें।
4. प्राचार्य/अध्यक्ष, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/अध्ययनशाला,
5. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/विकास/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय/ वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोपनीय/डाटा सेंटर/संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को सूचनार्थ
7. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगोंव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।



वार्षिक परीक्षा 2018 की बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड.के भूतपूर्व परीक्षार्थियों के लिए (अंतिम अवसर के रूप में) निर्धारित परीक्षा केन्द्र एवं आसजित महाविद्यालयों की सूची

केंद्र/महा.कोड.	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा.कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		102	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर
		111	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकरनगर, रायपुर
		112	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
		118	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर
		119	प्रगति महाविद्यालय, रायपुर
		120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महावि., शंकरनगर, रायपुर
		124	दिशा महाविद्यालय रामनगर, रायपुर
		126	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कोटा, रायपुर
		131	सेंट विसेंट पैलोटी, महावि., कांपा, रायपुर
		134	महात्मा गाँधी महाविद्यालय, रायपुर
		137	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुन्दरनगर, रायपुर
		151	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
		152	कालिन्दी महाविद्यालय, स्वाति एजुकेशन सोसायटी, लालपुर
		156	के.डी.रुगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी अटारी, रायपुर
		161	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, विधानसभा चंदखुरी मार्ग रायपुर
		170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर जिला-रायपुर
		171	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाठा,अभनपुर जिला-रायपुर
		173	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पचेड़ा अभनपुर
		175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)
		176	दिशा कालेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स,रामनगर कोटा रोड रायपुर
		177	सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम तुलसी जिला रायपुर
		178	सी.आई.टी. बी.एड कॉलेज ग्राम भेलवाडीह जिला रायपुर
		179	श्रीराम कॉलेज ग्राम सारागाँव जिला रायपुर
		180	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन ग्राम धुसेरा अभनपुर जि. रायपुर
		181	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम नरदहा आरंग जि. रायपुर
		185	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, माना केम्प, रायपुर
		186	कोलम्बिया कॉलेज, टेकारी, रायपुर
		187	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डूमरतालाब कांगेरवैली, रायपुर
		188	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन ग्राम नरदहा, रायपुर
		189	अकांक्षा लायन्स स्कूल फॉर मेन्टली हेन्डीकेप्ड, रायपुर
		191	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर
		192	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन धनेली, माना, रायपुर
		193	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर
		204	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जि.बलौदाबाजार -भाटापारा
256	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेस, गरियाबंद		
257	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, केशोडर रोड, गरियाबंद		
261	श्री वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महा. ग्राम जामगाँव, जिला गरियाबंद		
304	जयहिन्द महाविद्यालय महासमुंद		
311	प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली		
313	श्याम बालाजी कॉलेज महासमुंद		
365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद		

केंद्र/म हा.कोड.	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	403	जी.एस. आर्य कन्या महावि., स्टेशन रोड, दुर्ग
		404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		406	रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग
		408	सेठ सुगन चंद सुराना महा., बैजनाथपारा, दुर्ग
		410	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महा., गौरवपथ, उतई रोड, दुर्ग
		411	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कॉलोनी, दुर्ग
		412	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, पुलगाँव, दुर्ग
		413	बी.एम.कॉलेज ग्राम कोलिहापुरी जिला-दुर्ग
		414	डी.ए.व्ही. माडल कालेज धमधा रोड जिला -दुर्ग
		416	अपोलो महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग
		420	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, दुर्ग
		423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर
		426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई
		428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई
		429	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, से.-6, भिलाई
		431	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, ग्राम खपरी जिला-दुर्ग
		432	जगद्गुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिलाई
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाई नगर
		435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, भिलाई
		439	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई
		440	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई
		441	सेन्ट थॉमस महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई
		442	आर्यवर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई
		446	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, भिलाई
		448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका, भिलाई
		449	भिलाई कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई
		450	जी.डी. रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका कुरुद रोड, भिलाई
		451	रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी भिलाई कोहका रोड, कुरुद भिलाई जिला दुर्ग
		454	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुरुद, भिलाई
		456	उदय महाविद्यालय, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई
		459	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महावि., अहेरी, नंदनी रोड जिला-दुर्ग
		460	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई
		462	शैलदेवी महाविद्यालय अण्डा जिला दुर्ग
		469	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च ग्राम चंद्रखुरी जिला दुर्ग
		470	सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, दुर्ग
		471	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी जिला -दुर्ग
472	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी जिला -दुर्ग		
475	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, मेन रोड उतई, दुर्ग		
506	समाधान कालेज सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति ग्राम-फरी पोस्ट बीजभाटा जिला बेमेतरा		
653	कांपलुयेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, राजनांदगाँव		
658	श्रीराम शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगाँव		
659	रॉयल कॉलेज, लालबाग, राजनांदगाँव		
661	सोमनी महा. सोमनी, जिला-राजनांदगाँव		
664	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट, देवादा, राजनांदगाँव		

- टीप- 1. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला परीक्षा केन्द्र के लिए केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र की जावेगी।
2. प्रवेश-पत्र महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त किये जा सकेंगे, अथवा परीक्षार्थी अपने यूजर आई.डी. का प्रयोग कर वि.वि.के वेबसाईट से अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर केन्द्राध्यक्ष से अभिप्रमाणित कराकर भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
3. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
4. आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों की मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

आदेशानुसार
कुलसचिव
रायपुर, दिनांक 19/12/2017

क्रमांक 1341/वार्षिक परीक्षा/बीएड,एमएड,बीपीएड,एम.पी.एड./केन्द्र 2017


प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को इस जानकारी के साथ कि दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में हुए समझौते के अनुसार उनके विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र के लिए उक्त परीक्षाओं के लिए ही केन्द्र सूची जारी की गई है। तदनुसार शेष परीक्षाएं आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी।
2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों/वि0 वि0 के संबंधित अध्ययनशालाओं को सूचनार्थ।
3. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये केवल उपरोक्तानुसार ही यथासमय संबंधित परीक्षार्थियों के ऑनलाईन द्वारा भरे हुये परीक्षा आवेदन पत्र की हार्डकापी संलग्नगकों सहित स्वीकार करते हुये यथासमय परीक्षा आयोजित करावें।
4. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/ विकास/वित्त नियंत्रक/ संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा)
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोपनीय/डाटा सेंटर/संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को सूचनार्थ
6. प्रभारी, इंटरनेट, कम्प्यूटर अध्य.शाला को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु टीप :-

PRSU Servers and Antivirus Server (400 Users) की मौजूदा वार्षिक रखरखाव को आगामी तीन माह (नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक) कुल राशि रुपये 1,63,425/- शब्दों में एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रुपये (सभी करों सहित) में बढ़ाये जाने पर विचार करना।

विषयान्तर्गत कृपया ज्ञात हो की PRSU Servers की AMC 2016 को एक तिमाही (तीन माह - नवम्बर 2017 से जनवरी 2018) तक बढ़ाया जाना है। विषयान्तर्गत कृपया ज्ञात हो की PRSU Servers and Antivirus Server (100 Users) की निविदा जारी की गयी थी जो कि प्रक्रियाधीन है। अतः निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान के वार्षिक रखरखाव की कार्य कर रही वेंडर M/s Key Computers को एक तिमाही (01 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018) तक पूर्व दर रुपये 1,63,425/- (सभी करों सहित) में करवाया जाना प्रस्तावित है , उक्त का भुगतान विश्वविद्यालय के बजट 2017 -2018 के पृष्ठ 18 Other SoS क्रमांक 7 Networking /Website/E.t.c. से किया जाना प्रस्तावित है।


08-12-17

HEAD
SoS in Computer Science & IT
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR (C.G.)



96

कार्य परिषद् मे रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय:- वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक 11,57,064=00 स्वीकृति हेतु ।

वि0वि0 द्वारा माह मार्च एवं अप्रैल 2017 मे वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा के लिये रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु सत्र 2015-16 मे निविदा के आधार पर स्वीकृति दर पर M/s. Learning Spiral Pvt Ltd. Kolkata, Office at 3A Auckland Place, Room 5B, Kolkata से कराये जाने हेतु कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-3-2017 के विषय क्र0-15 पर स्वीकृति प्राप्त है ।

उक्त फर्म द्वारा वार्षिक परीक्षा 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य करने के पश्चात् देयक क्र0-जी/012/17-18 दिनांक 29 अगस्त 2017 के द्वारा रू0 11,57,064=00(ग्यारह लाख सनतावन हजार चौसठ) मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है । प्राप्त देयक को गोपनीय विभाग से प्रमाणित कराया गया है ।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिये स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

20-12-17

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका


विषय -सेमेस्टर परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका एवं OMR Sheet का मुद्रण छ.ग. संवाद से कराये जाने के संबंध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 27/12/2017 को सेमेस्टर परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा के उपयोग हेतु उत्तर पुस्तिकाएँ एवं OMR Sheet का मुद्रण छ.ग. संवाद के माध्यम से कराया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र०	उ०पु० का विवरण	विवरण				
		पेपर साइज	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	दर प्रति नग	मुद्रण किये जाने हेतु संख्या
01.	सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका	9" X 11"	32 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण (नंबरिंग, पंचिंग एवं परफोरेशन सहित)	रु.6.743/-	2,00,000=00 (दो लाख)
02.	सेमेस्टर परीक्षा के लिये OMR Sheet	9" X 11"	प्रति पृष्ठ	120 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण	रु.0.66/-	2,00,000=00 (दो लाख)

समय की कमी को देखते हुये उपरोक्त दर्शित संख्या में उत्तर पुस्तिका का मुद्रण हेतु छ.ग. संवाद को पत्र क्र. 334/विकास/2017, रायपुर, दिनांक 01/12/2017 के द्वारा आदेशित किया गया है।

अतः स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समुख विचारार्थ प्रस्तुत है।


11-12-17



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

98

क्रमांक 334 / विकास / 2017

रायपुर दिनांक 01/12/2017

प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद,
रायपुर

विषय:-सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका एवं OMR Sheet मुद्रण हेतु।

सन्दर्भ-आपके द्वारा प्रस्तुत दर पत्र क्र.5780/छ.ग.सं./प्रकाशन रायपुर, दिनांक 21/11/2017

विषयातर्गत सूचित करना है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिये सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका एवं OMR Sheet मुद्रण हेतु आपके द्वारा संदर्भित पत्र में प्रस्तुत दर को वि.वि. द्वारा मान्य किया गया है। कृपया निम्नानुसार संख्या में सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका एवं OMR Sheet मुद्रण कर 15 दिवस के भीतर इस वि.वि. को आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।

क्र०	उ०पु० का विवरण	विवरण				
		पेपर साइज	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	दर प्रति नग	मुद्रण किये जाने हेतु संख्या
01.	सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका	9" X 11"	32 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण (नबार्निंग, पचिंग एवं परफोरेशन सहित)	रु.6.743/-	2,00,000=00 (दो लाख)
02.	सेमेस्टर परीक्षा के लिये OMR Sheet	9" X 11"	प्रति पृष्ठ	120 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में मुद्रण	रु.0.66/-	2,00,000=00 (दो लाख)

उपरोक्त दर के अतिरिक्त निम्नानुसार दर भी मान्य रहेगा-

- (1) मुद्रण संख्या एवं पेज संख्या में परिवर्तन होने पर दर में परिवर्तन होगा।
- (2) सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका में छिद्रण होने पर प्रति उत्तर पुस्तिका राशि रु.0.121/- अतिरिक्त देय होगा।
- (3) शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. 18 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

संलग्न- उत्तर पुस्तिका का नमूना।

आदेशानुसार

[Handwritten Signature]

प्रमुख सचिव (विकास)

पृ. क्रमांक 335 / विकास / 2017

रायपुर दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय प्रेस, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।

[Handwritten Signature]
प्रमुख सचिव (विकास)



1/12/2017

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
जनसम्पर्क संचालनालय के पास, छोटापारा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4048828, 2236994 फैक्स-4224220

क्रमांक/5780/छ.ग.सं./प्रकाशन

रायपुर, दिनांक 21/11/2017

प्रति,

उपकुलसचिव (विकास)
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु दर की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र./317/विकास/2017 रायपुर, दिनांक 14/11/2017
विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त मुद्रण हेतु दर की जानकारी निम्न है:

विवरण	संख्या	दर
मुख्य उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 24 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	10,00,000 नग	@5.104/- प्रति नग
पूरक उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 16 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	6,00,000 नग	@3.46/- प्रति नग
सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 32 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग, परफोरेशन सहित।	50,001 नग से अधिक	@6.743/- प्रति नग
ओ.एम.आर शीट साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 120GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण	1000 से 5000 नग	@1.023/- प्रति नग
	5001 से 10000 नग	@0.83/- प्रति नग
	10001 से 20000 नग	@0.825/- प्रति नग
	20001 से 50000 नग	@0.825/- प्रति नग
	50001 से 100000 नग	@0.66/- प्रति नग
	100001 से 200000 नग	@0.66/- प्रति नग
	200001 से अधिक नग	@0.55/- प्रति नग


100

ओ.एम.आर शोट सिलाई हेतु दर		
	1000 से 10000 नग	@0.55/- प्रति नग
	10001 से 20000 नग	@0.275/- प्रति नग
	20001 से 100000 नग	@0.22/- प्रति नग
	100001 से 200000 नग	@0.176/- प्रति नग
	200001 से अधिक नग	@0.165/- प्रति नग

टॉप :- (1) मुद्रण सख्या एव पेज सख्या में परिवर्तन होने पर दर में परिवर्तन होगा।

(2) उत्तर पुस्तिका में छिद्रण होने पर प्रति उत्तर पुस्तिका राशि रू.0.121/- अतिरिक्त देय होगा।

उपरोक्त दरों के अलावा शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. 18 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। कृपया उपरोक्त दरों पर सहमति प्रदान कर हमें जल्द से जल्द मुद्रण कार्यादेश प्रदान करें। जिससे मुद्रण/प्रकाशन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।


अति.मु. का. पा. अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर



यांत्रिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

101

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 153 / यांत्रिकी / 2017

रायपुर, दिनांक 2 / 11 / 2017

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक सोमवार दिनांक 30/10/2017 को अपराह्न 3.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 1. प्रो. शिव कुमार पाण्डेय | - कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेश त्रिपाठी | - (प्रोफेसर सिविल इंजी. एन.आई.टी)- | | सदस्य |
| 3. प्रो. ए. के. गुप्ता | - (योजना बोर्ड सदस्य) | | सदस्य |
| 4. श्री के. पी. तिवारी | - (वि.वि.यंत्री) | | सदस्य |
| 5. श्री धर्मेश साहू | - (कुलसचिव) | | सचिव |
| 6. श्री नवीन शर्मा | - आर्केटेक्ट (RUSA) | | विशेष आमंत्रित |
| 7. श्री प्रासू गुप्ता | - आर्केटेक्ट (म्यूजियम) | | विशेष आमंत्रित |
| 8. श्री जय प्रकाश चौरसिया | - उपयंत्री (लोक निर्माण विभाग) | | विशेष आमंत्रित |

विषय कं:-1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/01/2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/01/2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय कं:-2. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/01/2017 के निर्णय पर की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/01/2017 के निर्णय पर की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कं:-3. लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा करना।

निर्णय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

विषय कं:—4. विश्वविद्यालय में म्यूजियम निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म development consortium Raipur द्वारा प्रस्तुत किये गये ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रुपया 68.67 लाख का अनुमोदन करना एवं कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय में म्यूजियम निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म development consortium Raipur द्वारा प्रस्तुत किये गये ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रुपया 68.67 लाख का अनुमोदन किया गया एवं कार्य कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तथा आर्किटेक्ट फर्म को म्यूजियम निर्माण हेतु आर्किटेक्ट के रूप में सेवा लेने संबंधी प्रस्ताव का भवन निर्माण समिति द्वारा आन्कित किया गया है। उसके लिये निर्देश किया गया कि आर्किटेक्ट नियुक्ति दर निर्धारण एवं भुगतान संबंधी कम नियम का पालन अवश्य किया जाए।

विषय कं:—5. विश्वविद्यालय के बायोटेक्नालाजी भवन के प्रथम तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्री नवीन शर्मा & Associates रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 144.29 लाख का अनुमोदन करना। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के बायोटेक्नालाजी भवन के प्रथम तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्री नवीन शर्मा & Associates रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 144.29 लाख का अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाने की अनुशंसा की गई।

विषय कं:—6. विश्वविद्यालय के सेन्टर फार बेसिक साइंस भवन के द्वितीय तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्री नवीन शर्मा & Associates रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 156.18 लाख का अनुमोदन करना। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के सेन्टर फार बेसिक साइंस भवन के द्वितीय तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट श्री नवीन शर्मा & Associates रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 156.18 लाख का अनुमोदन किया गया। RUSA

के तहत कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—7. विश्वविद्यालय के पावर ग्रिड छात्रावास के द्वितीय तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 124.13 लाख का अनुमोदन करना। RUSA के अतर्गत कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के पावर ग्रिड छात्रावास के द्वितीय तल विस्तार भवन निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 124.13 लाख का अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—8. विश्वविद्यालय के विधि विभाग भवन के प्रथम तल विस्तार निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 79.39 लाख का अनुमोदन करना। कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के विधि विभाग भवन के प्रथम तल विस्तार निर्माण के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग से उपस्थित इंजीनियर द्वारा प्रथम तल निर्माण हेतु असमर्थता व्यक्त की गई। लगभग 30 वर्ष पुराने विधि भवन के प्रथम तल विस्तार न करके बी.एड. नवनिर्मित भवन का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

विषय कं.:—9. विश्वविद्यालय परिसर में छात्र सदन निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 52.59 लाख का अनुमोदन करना। कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर में छात्र सदन निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 52.59 लाख का अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—10. विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी भवन भूतल विस्तार निर्माण हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 36.66 लाख का अनुमोदन करना। कार्य डिपाजिट कार्य के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी भवन भूतल विस्तार निर्माण हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 36.66 लाख का अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—11. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह के रेनोवेशन एकास्टिक वाल पैनालिंग फालसीलिंग एअरकंडशनिंग साउंडसिस्टम एवं सीटिंग व्यवस्था हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 142.60 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। RUSA के अंतर्गत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह के रेनोवेशन एकास्टिक वाल पैनालिंग फालसीलिंग एअरकंडशनिंग साउंडसिस्टम एवं सीटिंग व्यवस्था हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 142.60 लाख के अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—12. विश्वविद्यालय के सामुदायिक भवन के रेनोवेशन कार्य हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 10.36 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। RUSA के अंतर्गत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के सामुदायिक भवन के रेनोवेशन कार्य हेतु आर्केटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 10.36 लाख के अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की

अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—13. विश्वविद्यालय परिसर में क्ले टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 4.66 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर में क्ले टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 4.66 लाख के अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—14. विश्वविद्यालय परिसर में फुटबाल ग्राउंड निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 37.26 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। RUSA के अंतर्गत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर में फुटबाल ग्राउंड निर्माण हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 37.26 लाख के अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—15. विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने स्थित मैदान की बाउंड्रीवाल निर्माण एवं लैण्ड स्केपिंग कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71.84 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने स्थित मैदान की बाउंड्रीवाल निर्माण एवं लैण्ड स्केपिंग कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 71.84 लाख के अनुमोदन किया गया। कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—16. विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर लैण्ड स्केपिंग कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि

रु. 8.50 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। कार्य डिपोजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर लैण्ड स्केपिंग कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 8.50 लाख के अनुमोदन किया गया। कार्य निविदा आमंत्रित कर कराने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं:-17. विश्वविद्यालय परिसर में ड्रेनेज (R.C.C.) कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 66.65 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। RUSA के अंतर्गत कार्य डिपोजिट वर्क के रूप में कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय परिसर में ड्रेनेज (R.C.C.) कार्य हेतु आर्कटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 66.65 लाख के अनुमोदन किया गया। RUSA के तहत कार्य डिपोजिट वर्क के रूप में कराने लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय कं:-18. विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रु. 165.49 लाख में से पूर्व में प्राक्कलन राशि की 33% राशि रु. 54.61 लाख का भुगतान लो.नि. विभाग को किया गया है शेष राशि 110.88 लाख की मांग कार्यपालन अभियंता लो.नि. विभाग स.क.-3 के पत्र कं. 4400/अ.के.र. रायपुर दिनांक 13/07/2017 के द्वारा मांग की गयी हैं कार्य पूर्णता की ओर है शेष राशि भुगतान स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग भवन निर्माण कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता लो.नि. विभाग स.क.-3 के मांग अनुसार शेष राशि 110.88 लाख की मांग अनुसार भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय कं:-19. विश्वविद्यालय के भवनों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट एवं मेटनेस कार्यों हेतु पूर्व में निविदा में आमंत्रित की गयी थी। जिसमें चार फर्मों/ठेकेदारों से पंजीकृत डाक से निविदा प्राप्त हुई थी। जिसमें से तीन फर्मों ने एस.ओ. आर. से above दर दी है। फर्म m/s om sai construction Raipur द्वारा (एस. ओ.आर. effective form 1st jan 2015) से 4.1 प्रतिशत below की दर दी है। न्यूनतम दर अनुमोदन हेतु पिछली बैठक (06/01/2017) में प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय हुआ था तदनुसार प्रकरण

विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय के यांत्रिकी शाखा द्वारा आमंत्रित निविदा दर के अनुमोदन पर विचार नहीं किया गया। दर के संबंध में लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त कर पुनः प्रस्तुत किये जाने निर्णय लिया गया।

विषय कं.:—20. विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यानों के वार्षिक रख रखाव हेतु सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 का प्राक्कलन प्रस्ताव संशोधित राशि रु. 25,16,303/- का अनुमोदन करना। स्वीकृति की प्रत्याशा में उनके द्वारा उद्यानों का रख रखाव कार्य संतोष जनक रूप से कराया जा रहा है कार्य में संलग्न श्रामिकों के भुगतान हेतु राशि रु 5.00 लाख का भुगतान किया गया है। द्वितीय किस्त के रूप में राशि रु 5.00 लाख का भुगतान किये जाने स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यानों के वार्षिक रख रखाव हेतु सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 का प्राक्कलन प्रस्ताव संशोधित राशि रु. 25,16,303/- का अनुमोदन किया गया। तथा द्वितीय किस्त के रूप में राशि रु 5.00 लाख का भुगतान किये जाने कि अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—21. विश्वविद्यालय परिसर में ओपन जिम की बाउंड्रीवाल निर्माण एवं उद्यान को विकसित करने हेतु प्राक्कलन राशि रु.3.50 लाख का अनुमोदन करना, कार्य कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर में ओपन जिम की बाउंड्रीवाल निर्माण एवं उद्यान को विकसित करने हेतु प्राक्कलन राशि रु.3.50 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्य कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय कं.:—22. विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति निवास, शारीरिक शिक्षा, खेल मैदान, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रेलवे काउन्टर तक, एन.सी.एन.आर. भवन के पीछे की बाउंड्रीवाल को ऊँचा करने हेतु आर्कटेक्ट श्री नवीन शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु 13.00 लाख का अनुमोदन करना, कार्य कराने प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति निवास, शारीरिक शिक्षा, खेल मैदान, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रेलवे काउन्टर तक, एन.सी.एन.आर. भवन के पीछे की बाउंड्रीवाल को ऊँचा करने हेतु आर्कटेक्ट श्री नवीन शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु 13.00 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्य

कराने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय कं:-23.विश्वविद्यालय परिसर में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने हेतु आर्कटेक्ट/लोक निर्माण विभाग से चर्चा करना।


निर्णय:- विश्वविद्यालय परिसर में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सपन्न हुई।



कुलपति

पं०र.शं.शु.वि.वि.,रायपुर(छ.ग)



कुलसचिव

पं०र.शं.शु.वि.वि.,रायपुर(छ.ग)

क्रमांक 154/यांत्रिकी/2017
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 2/11/2017

1. भवन निर्माण समिति के सदस्यों की ओर आशय के साथ अग्रेषित कि कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निच सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ग्रांट सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त नियंत्रक पं.र. शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



वि.वि.यंत्री.

पं०र.शं.शु.वि.वि.,रायपुर(छ.ग)